1291/2

खंड ११ संख्या १८

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग २ कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित ।]

बुधवार, तिथि १२ मार्च, १९७५ ।

विषय-सूची

विधान कार्य :

सरकारी विधेयक : पृष्ठ

बिहार विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (स्वीकृत) (१९७५ का वि० सं०—१) ... १-५

बिहार विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९७५ : (सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत)—(१९७५ का वि० सं०—२) ५-१७

चर्चाएं :

(१) मैनेजिंग डाइरेक्टर, बिस्कोमान द्वारा स्टेट कोपरेटिव बैंक के चेक को डिजऔनर करार देना । १७

(२) आरा-सासाराम मार्टिन लाइट रेलवे को चालू रखना । ... १७-१८

(३) मैथ्यू कमीशन में मन्त्री डा० जगन्नाथ मिश्र द्वारा सरकारी वकील रखने की मांग पर मुख्य सचिव का बयान । ... १८-२१

सदन में निष्कासन का प्रस्ताव : (स्वीकृत) २१-२२

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य : कंकड़बाग (पटना) स्थित श्री कौशलेन्द्र ठाकुर की पत्नी श्रीमती प्रमीला देवी का अपहरण । २३-२४

अत्यावश्यक लोकमहत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकारी वक्तव्य : पीरपैंती (भागलपुर) थाना के नौवाटोली (चांदपुर) ग्राम में हरिजन छात्र की हत्या । २४-२८

राज्यपाल के सचिवालय से प्राप्त संदेश । २९

महत्वपूर्ण विभाग है। जितने भी पुलिस विभाग के हाइयर ओथोरिटी हैं जैसे आई० जी०, डी० आई० जी० या और पदाधिकारी उन सबों को उपस्थित रहना चाहिये, जो उपस्थित नहीं हैं। मुख्य मंत्री को भी इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहिए। उपस्थित रहने की बराबर परिपाटी भी रही है।

उपाध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री, आप मुख्य मंत्री को खबर दे दीजिये कि वे उपस्थित रहें।

श्री दारोगा प्रसाद राय दो बजे इस पर बहस होगी। मुख्य मंत्री तो बराबर सदन में रहते ही हैं। फिर भी मैं उनको सूचित कर दूंगा।

मैं इस पर कुछ भाषण देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस विभाग के लिये समय बहुत कम है और उसी में सभी माननीय सदस्यों को बोलना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि साल भर से खास कर जे० पी० के आन्दोलन के बाद ला-एण्ड आर्डर का प्रोबलम भी पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा स्ट्रेन पड़ा है। लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी पुलिस विभाग ने अपने काम को अच्छी तरह से किया है। लेबर फिल्ड और एग्जामिनेशन का ऐडिशनल प्रोबलम उनके सामने आ गया फिर भी इस विभाग ने बहुत अच्छी तरह से उसको टैक्ल किया है। मैं अभी और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य जो अपना विचार प्रकट करेंगे उस पर मैं अपना जबाव दूंगा।

कटौती प्रस्ताव :

राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पर विचार-विमर्श

श्री संत प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

अधिक्षण पदाधिकारियों का वेतन के लिये ६,०६,७००० रुपये की मद लापित की जाय।

राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पर विचार-विमर्श के लिये।

उपाध्यक्ष—सभा की बैठक दो बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद

(इस अवसर पर श्री राधानन्दन झा ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री जनार्दन तिवारी—सभापति महोदय, मेरा एक पोइन्ट आफ आर्डर है

कि पुलिस प्रशासन पर वादविवाद हो रहा है और अभीतक आफिसर गैलरी में आई० जी० उपस्थित नहीं हुए हैं। अगर वे रहते तो हम सदस्य जो बोलेंगे उसको वे श्रवण करते। यों तो दारोगा बाबू सुनेंगे ही किन्तु उनको भी सुनना बहुत जरूरी है।

सभापति—ठीक है, आप बैठ जायं।

★ श्री संत प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, मैंने जो इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हाल ही में सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ था, उस अभिभाषण के पेज—१८ में उन्होंने कहा था कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिये मैं मंत्री महोदय, दारोगा बाबू से कहना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग की मांग को रखने के समय राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ लेते तो अच्छा होता। क्योंकि इस राज्य के प्रशासन में प्रथम व्यक्ति राज्यपाल महोदय ही हैं। पिछले वर्ष हमारे राज्य की स्थिति इस सम्बन्ध में अच्छी नहीं रही है किन्तु दारोगा बाबू कहते हैं कि विशेष खराब नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले मार्च से इस मार्च तक की जो अवधि रही, बिहार के अन्दर उथल-पुथल की अवधि रही है। आजादी के बाद से इस तरह की उथल-पुथल की स्थिति और राजनैतिक क्रांति कभी नहीं हुई थी। पुलिस हमारे प्रशासन की रीढ है, इसकी भूमिका गत मार्च महीने से कैसी रही है, यह सबों ने देखा है। इस स्ट्रगल में आपने देखा होगा कि आपकी पुलिस बिलकुल फेल हो गयी है। आपने यह भी देखा होगा कि आपकी पुलिस की संख्या अच्छी थी, अफसर भी थे किन्तु आंदोलनकारी के सामने चुप्पी और नरमी बर्ते हुए थे। जब कभी भी वर्ग संघर्ष तीव्र होता है तभी प्रशासन को परखने का मौका आता है। गत मार्च में फासिस्टवादी आंदोलन आजादी के बाद से पहले पहल देखने को मिला और काफी संख्या में आपकी पुलिस तैनात थी किन्तु पटना, जो बिहार की राजधानी है, धूधू कर जल रही थी। राजधानी में आई० जी० को रहते हुए इस तरह की घटना हुई, क्या आपने इसकी छानबीन की कि कौन-कौन पुलिस अफसर ने उस वक्त नर्मी बर्ती थी और नर्मी का रूख अपनाया था। आपका स्टेट सेकुलर स्टेट है जिसमें कुछ पुलिस अफसर आनन्दमार्गी भी हैं।

मैं उसमें चंद व्यक्तियों का नाम रखना चाहता हूँ, जिनके बारे में जानते हैं उन पर कार्रवाई करें और जिनके बारे में आपकी जानकारी नहीं है उनकी छानबीन करें। एक अखौरी हिमाचल प्रसाद वरिष्ट पदाधिकारी हैं ये आनन्दमार्गी हैं। फिर रामवृक्ष

सिंह डी०आई०जी हैं, ये रौटेन अफसर हैं, फस्ट क्लास कास्टिस्ट हैं । इनको आपने रोहतास को सम्हालने के भेजा । ३, ४ और ५ अक्टूबर को फोर्स लेकर ये वहां गये थे । आपको मालूम होगा कि वहां की स्थिति कितनी खराव है । आपको मालूम होगा कि उस वक्त वहां एक पुलिस अफसर का रायफल छीन लिया गया और छीननेवाला श्री रामवृक्ष सिंह का भतीजा जगन्नाथ सिंह था । उसने ईदिलपुर में अपनी छावनी में उस रायफल को रखा था । जब रायफल नहीं मिल रहा था तो डी०डी०सी० के प्रेसिडेन्ट एवं अन्य लोगों ने कहा कि पुलिसवाले पता नहीं लगा सकते हैं कि रायफल कहां है तो हम उस रायफल को ला दे सकते हैं । जब इस बात की जानकारी सबको हुई तो बी० एम० पी० के कमांडेंट ने कहा कि छावनी से निकाल कर खेत में फेंक दो नहीं तो पकड़े जाओगे ।

सदन में आवाज—बहुत सीरियस चीज है ।

श्री संतप्रसाद सिंह—एक सिपाही छावनी में गया और उसको खेत में फेंक दिया । श्री रामवृक्ष सिंह रामगढ थाने के देवहलिया के रहने वाले हैं और इदिलपुर में उनकी छावनी है । जगन्नाथ सिंह ने दुर्गावती में एक आदमी का मकान जबर्दस्ती दखल कर लिया यह कहकर कि हम डी०आई०जी के भतीजे हैं । इस तरह वह पूरे इलाके में आतंक मचाए हुए है । इसके सम्बन्ध में श्री श्याम नारायण पांडे भी जानते हैं और उन्होंने भी उसके सम्बन्ध में कईबार सवाल उठाया है । हमारी पार्टी के कौमरेड श्री शंभू सिंह को डकैती केस में फंसाया गया । बाद में केस झूठा करार दिया गया तो फिर उसको फंसाया । अब इधर पता चला है कि दुर्गावती और मोहनिया के प्रभारी शंभू सिंह को नहीं फंसा सके तो दोनों का स्थानान्तरण करा दिया गया, तो मैं क्या मानूं कि जो पदाधिकारी डी० आई०जी की गलत बात न माने, गलत तरीके से क्षेत्र में आतंक मचाएं तो उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय, यही आपका न्याय कहता है ? ३, ४, ५ अक्टूबर को रोहतास में घटना घटी, आपकी पुलिस के रहते हुए भी दोषी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो सका । इतना बड़ा हंगामा हुआ, आप पता लगाएं कि उसके लिये कौन-कौन पुलिसवाले जिम्मेवार हैं । ऐसा मालूम होता है कि उसमें जय प्रकाश नारायण के समर्थन करनेवाले लोग वहां थे इसलिये सासाराम में उतना उपद्रव नहीं हुआ जितना मोहनियां में हुआ । इस आन्दोलन के समय में दुश्चरित्र पदाधिकारी सब बेनकाब हो गए हैं । आपको ऐसे लोगों की छानवीन करनी चाहिये और लिस्ट तैयार कर उन्हें सजा देनी चाहिये नहीं तो आनेवाला दिन और भी खराब होगा । आप इनको सजा नहीं देंगे तो ये काफी नुकसान स्टेट का पहुंचाएंगे । मैं तो देख रहा हूँ

कि जो अफसर इतना बड़ा नुकसान करता है उसको और तरजीह दिया जा रहा है। सुना है विहार के अन्दर बी०एम०पी० में लोगों की बहाली का काम श्री रामवृक्ष सिंह को ही दिया गया है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह चाहती हैं कि बी०एम०पी० में केवल जयप्रकाश नारायण के समर्थकों और आनन्दमार्गियों को भर दिया जाय और वह वहां रहकर विद्रोह की चिनगारी भरकावें। मैं चाहूंगा कि नोर्थ और साउथ बिहार दोनों तरफ के बहाली का काम उन्हें दिया गया है इस परम्परा को तोड़ा जाय और जो डी०आई०जी० पहले एस० पी० की सलाह से हर जिले में करते थे वही परम्परा लागू की जाय। उसे ही अपनाया जाय तो अच्छा रहे।

ऐसे लोग जो फास्टिज्म करते हैं और जो आनन्दमार्गी कहलाते हैं उनके जिम्मे आप काम दे देंगे तो इससे स्टेट के इन्टरेस्ट में अच्छा काल नहीं होगा। जहांतक आपकी नीतियों के पालन करने का सवाल है, यदि आपके अफसर आपके प्रतिकूल काम करते हैं तो वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिये मेरा कहना है कि आप एक साल के छात्र संघर्ष के दौरान उन तमाम अफसरों के चालचलन या एक्टिविटिज का मुआइना करें जिन्होंने स्टेट के इन्टरेस्ट के खिलाफ काम किया है और उनपर उचित कारंवाई करें। जहांतक ला एन्ड आर्डर की बात है, आपका यह कहना कि १९७४ वर्ष में जय प्रकाश आन्दोलन में फँसे रहने के कारण अपराधों की संख्या बढ़ी है तो इस कथन को मैं सही नहीं मानता हूँ। १९७४ के पहले भी अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। १९६९ में १२४४ हत्यायें हुईं, १२५३ डकैतियां हुयीं, ८०७ लूट हुए, और २११६३ चोरियां हुईं। उसी तरह से १९७२ वर्ष में १६७३ हत्यायें हुईं, १७९७ डकैतियां हुईं, १२८६ लूट हुए, और २५५६६ चोरियां हुयीं। किन्तु १९७४ वर्ष में १८५४ हत्यायें हुईं जबकि १९६९ में १२४४ हत्यायें हुईं थीं, १९७४ में २१२१ डकैतियां हुईं जबकि १९६९ में १२५३ डकैतियां हुई थी यानी और अपराधों की संख्या भी इसी तरह की है। इस तरह से १९६९ में कुल अपराधों की संख्या जहां ७९,९९० थी वहां १९७४ में १,०९,९२० थी। आप जो कहते हैं कि १९७४ में आन्दोलन के चलते अपराधों में वृद्धि हुई तो उसके पिछले वर्षों में कहां अपराधों में कमी हुई? अपराध में एक ओर वृद्धि होती जा रही हैं और आप रुपया मांगते हैं पुलिस पर खर्च करने के लिये। आपको पैसे नहीं मांगना चाहिये जब अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। आप यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपराध बढ़े और हमको पैसे मिलते जायें? जब आपके पुलिस बजट को देखता हूं तो पाता हूं कि १९६९-७० में आपका बजट जहां १३,९१,५०,००० रु० का था वह १९७४-७५ में बढ़कर २२,६७,९४,००० रु० हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपका बजट १९६९-७० से १९७४-

७५ में ६६ प्रतिशत बढ़ गया और अपराध में भी ३७ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। इस तरह से जितना आपका बजट बढ़ता गया उतना ही अपराधों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। इसके बाद भी आप हमसे पैसे मांगते हैं। आपको मालूम है कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें आपकी पुलिस का कोनाइवेंस रहता है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। २० जनवरी को बिक्रमगंज में पुलिस रेंज का एक मैच हुआ था। वहाँ रोहतास की पुलिम भी भाग लेने आयी थी। मैच जब समाप्त हुआ तो रोहतास के सर्जेन्ट ने पुलिस वालों को लेकर बिक्रमगंज के एक मिठाई दूकान को लूटा और उसको पकड़कर जीप के नीचे कुचलकर मार देना चाहते थे। उनका कसूर क्या था ? कसूर यही कह सकते हैं कि उस दूकान पर वे लोग जलपान करके पैसा नहीं दिये और जब दूकानदार ने पैसा मांगा तो दूकान को लूटा और उसको मारा पीटा। जब यह खबर वहाँ के एस० पी० को दी गयी तो उलटे उसने जमादार को ससपेंड कर दिया यह कहकर कि तुमने दूकान को जला क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर लिया ? जब मैंने आई० जी० और डी० आई० जी० से इसके बारे में कहा तो उन्होंने इसकी जाँच करायी और तब उनको मालूम हुआ कि जमादार को जो ससपेंड किया गया था वह गलत था।

पुलिस की गलती थी, उसे ससपेंड करना चाहिये था, उसे सजा दी जानी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं करके सुना है कि उस जमादार का प्रोमोशन हो गया है। अभी २४ फरवरी की बात डेहरी आन सोन के नियूटिलिया मुहल्ले में कुछ भूमिहीन हरिजन आदि लोग सरकारी जमीन पर बसे हुये थे, जिन्हें वहाँ की पुलिस हटा दिया, उनकी झोपड़ी उजाड़ दी गयी, उनलोगों पर लाठी चार्ज की गयी और फलस्वरूप अनेकों औरतें घायल हो गयी और स्थानीय अस्पताल में भर्ती हुईं। दूसरी ओर सासाराम में जो शेरशाह रौजा रोड है, वहाँ की सरकारी जमीन पर एक मुनसिफ मैजिस्ट्रेट ने पक्का मकान बना लिया है, जिसके लिये कंसलटेटिव कमिटी में भी काफी चर्चा हुई और सदस्यों ने भी इसकी काफी चर्चा की है। इतना ही नहीं सासाराम में कई जगह कचहरी के आसपास सरकारी जमीन पर लोग घर बना लिये हैं, लेकिन उस पर कुछ भी आजतक कार्रवाई नहीं की गयी है। लेकिन उन गरीब भूमिहीनों को वहाँ से उजाड़ दिया गया।

सभापति जी, हमलोग साफ जानते हैं कि पुलिस कोनाइवेंस से ही ये सारी बातें हुआ करती हैं। आप जानते हैं कि संथाल परगने के चौरडीह में ११ आदमी मारे गये, जब कि थोड़ी ही दूरी आधा मील पर डी० एस० पी० और मैजिस्ट्रेट

मौजूद थे, लेकिन घटनायें घटीं। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कोनाइवेंस से ये सारी घटनायें घटती हैं। इतना ही नहीं भागलपुर में भी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दो मुखिया और जिला स्तर के दो कार्यकर्त्ता तथा दो हरिजन के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गयी। ऐसी घटना के बावजूद भी आज तक एस० पी० स्वयं सुपरविजन नहीं किया है और जो डी० एस० पी० कहते हैं, वही सुनते हैं। सुना है कि ये जिला के अन्दर दारोगा और जमादार के ट्रान्सफर और पोस्टिंग में लगे रहते हैं। इस तरह के अनेकों आरोप उनके विरूद्ध हैं। ऐसे एस० पी० को रखकर आप क्या उजाला की बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी ?

मोहानिया के इन्सपेक्टर श्री मोइतुर रहमान जिनको मात्र अब ढाई वर्ष रिटायर होने में रह गया है और मोहानिया में उनकी पोस्टिंग का चार माह ही हुआ है, लेकिन उनका स्थानान्तरण कर दिया गया सी० आई० डी० फूड में। मैंने इनके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को स्वयं लिख कर दिया था और उन्होंने उस पर आदेश दिया था कि उनको श्री रहमान जी को फुलटर्म वहीं रहने दिया जाय। यह आदेश १ मार्च को ही सचिवालय में आ गया है, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हो सका है। आप उजाला की बात करते हैं, लेकिन आपके आदेश का भी पालन नहीं हो पाता है। बल्कि यह भी बात है कि यहां ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें उसका पारितोषिक नहीं दिया जाता है। आपको इस बात की भी जानकारी है कि अभी पश्चिमी चम्पारण जिले के अन्तर्गत हमारे कम्युनिस्ट भाइयों पर छात्र संघर्ष समिति का हमला हुआ था। उस छात्र संघर्ष समिति में आपके मंत्रि-मंडल के सदस्यों के परिवार के लोग हैं। बल्कि छात्र संघर्ष समिति वहां कुछ नहीं है आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों के परिवार के लोग ही सब कुछ हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ आप लोगों की दोस्ती है। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से हमारी पार्टी की प्रिंसिपुल की दोस्ती नहीं है। दोस्ती सिर्फ इतनी ही है कि जब वे गलत काम करते हैं तो हम विरोध करते हैं औरअच्छा काम करते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके साथ हैं। आप देखें मैं एक ५५ राजनैतिक हत्याओं की सूची दे रहा हूँ। ये सारी हत्यायें दो वर्षों में हुई हैं। ये हत्यायें आपकी पुलिस के द्वारा हुई है, राजनैतिक लोगों के द्वारा हुई हैं तथा रिऐक्शनरियों के द्वारा हुई हैं। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे भी लोग हैं जो इनको रोक नहीं सकते हैं और आपकी पुलिस आज-

तक कोई कारंवाई नहीं की है। सारी घटनायें जो घटी हैं उनके संबंध में छानबीन करके कारंवाई नहीं हुई है उसका कारण है कि आपके पुलिस विभाग के अधिकारी ऐसे हैं जो एन्टी लेबर हैं जो एन्टी एम्प्लोयेंट हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, इस राज्य में आप मुख्य मंत्री जी हैं। सुनता हूं स्थगित हो गया है पार्लियामेंट की बैठक में वह मैटर। यहां एक बहुत बड़ी गलती हो रही है इसलिये पैसा क्या छदाम भी आपको नहीं देना चाहिये। जो रिटायर्ड औफीसर हैं उनको आप एक्सटेंशन देकर दिल्ली से पटना बुलाये हैं। ऐसा आई० जी० जिनके समय में सारा बिहार धू-धू करके जलता रहा, बिहार की राजधानी पटना जलती रही लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया। जब आप एक आई०जी० को प्रमोशन देते हैं तो अदर्स कैटेगरी के २७ व्यक्ति एफेक्टेड होते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह के एक्स-टेंशन देने की बात को रोकें और आपको रिव्यू करना चाहिये और नहीं तो पुलिस विभाग के अधिकारियों में रिजेंटमेंट होगा और उसका नतीजा बिहार को भोगना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

★श्री विश्व नाथ ऋषि—माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पुलिस विभाग की जो मांग पेश की है मैं उसका समर्थन करते हुये चन्द शब्द आपके माध्यम से सरकार के सामने रखता हूं। सभापति जी बिहार राज्य में जो आंदोलन चल रहा है वह गत एक वर्ष से चल रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुये पुलिस का कर्त्तव्य कितना अधिक बढ़ गया है इसको हम सभी लोग जानते हैं लेकिन पुलिस विभाग के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहते हुये भी आज बिहार की पुलिस जिस अनुत्तरदायित्व से काम कर रही है जिससे सारे बिहार की जनता का जानमाल खतरे में पड़ा हुआ है। बल्कि आज पुलिस जनता की रक्षक नहीं है; भक्षक का काम कर रही है। यह बहुत खेद की बात है। इसलिये मैं चाहता हूं इस सरकार का अंकुश पुलिस पर पड़े ताकि पुलिस जनता की रक्षा करने का कार्य करे। आज बिहार के किसी भी पेपर को उठाकर आप देखें हर पन्ने में चोरी-डकैती की खबरें भरी पड़ी रहती हैं और इसमें ज्यादातर हमारा ख्याल है जितनी चोरी डकैतियां होती हैं उसमें हमारी पुलिस का अधिक नहीं तो कुछ हाथ जरूर रहता है। इसका बहुत सुन्दर एक्जाम्पुल है जो आपके माध्यम से मैं सुनाता हूं।

सभापति महोदय, गोरहा के पंचमा गांव में एक अर्जुन रविदास हैं। उनके घर के आसपास दूसरे जाति के लोग भी हैं। रविदास अपना पेशा करके अपना भरण-पोषण करता है। लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वे चाहते हैं कि रविदास को यहां

से भगाये जाय इसलिये वे उन्हें बराबर तंग किया करते हैं। १२ फरवरी १९७५ को वहीं के एक श्री मुनीलाल मंडल ने रविदास पर आक्रमण किया और उनलोगों को पीटा। इतना ही नहीं रविदास के भाई का पैर काट दिया गया—वह अभी पूर्णियां अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में एफ० आई०आर० लौज किया गया है लेकिन अभीतक पुलिस लोगों को ऐरेस्ट नहीं किया है। उनसे पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया है इसलिये मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि ऐसे पुलिस अधिकारी पर अविलम्ब कारंवाई की जाय और उन्हें आप वहाँसे हटावे। सभापति महोदय, कोरहा क्षेत्र में फलका थाना है। वहाँ फूस का मकान है। सभी पुलिस अधिकारी फूस के मकान में रहते हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है लेकिन सरकार इस संबंध में कोई कारंवाई नहीं की अतः वहाँ अविलम्व पुलिस अधिकारी के रहने के लिये मकान बनाया जाय। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हर पुलिस थाने में एक जीप की व्यवस्था होनी चाहिये। पहले दारोगा घोड़ा पर चलते थे लेकिन अब घोड़ा पर भी अपने क्षेत्र की दौड़ नहीं करते हैं। जहां क्रिमनल जीप से भागता है वहां आपके दारोगा साइकिल से उन्हें पकड़ने के लिये जाते हैं यही कारण है कि इस समय इतना क्राइम बढ़ गया है। जीप के अभाव में वे पूरी तरह जांच नहीं कर सकते हैं अतः हर पुलिस थाने में एक जीप की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावे थाने के औफिसर इनचार्ज को कम वेतन मिलता है जिसके फलस्वरूप वे घूस लेते हैं अतः उनका वेतन बढ़ाया जाय।

श्रीकृष्ण प्रताप सिंह—सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो माँग पेश की गयी है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज अपने प्रान्त में पूरे एक साल से जे० पी० का आन्दोलन चल रहा है और इस सिलसिले में पुलिस की जिम्मेवारी काफी बढ़ गयी है और इन सभी कार्य के लिये खर्च की आवश्यकता है अतः सरकार के द्वारा जो पुलिस के लिये माँग की गयी है वह इन्हें मिलना चाहिये। सभापति महोदय, असामाजिक तत्व जो हैं उनसे पुलिस का यूनिट जो थाना है उन्हीं को लड़ना पड़ता है लेकिन आप पाँच आई० जी० का पोस्ट किये, १७ डी० आई० जी० का पोस्ट किये लेकिन थाने का स्ट्रेंगथ जो अंग्रेज के समय था वही स्ट्रेंगथ अभी भी है। आज आप थाना जांय तो पुलिस का क्या रूप है वह देखने से पता चलेगा। मुझे एक बार थाना पर जाने का मौका मिला तो वहाँ एक पुलिस सिपाही बैठा था। वह पुलिस मुझसे पूछा कि आप किसको खोजती हैं—क्या आप बड़ा साहब को खोजती हैं—बड़ा साहब आती है। वह अब रिटायर्ड करने वाले हैं—ऐसी तो आपकी पुलिस है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इसपर ध्यान देना चाहिये।

आपको सचिवालय पर ही ध्यान देने से काम नहीं चलनेवाला है। आपको थाना पर भी ध्यान देना चाहिये। आपको आई० जी० और डी० आई० जी के लस्कर बढ़ाने से चोरी, लूट और डकैती में सुधार नहीं हो सकता है उसके लिये आपको थाने को इक्विप्ड करना होगा। आज क्या है, क्रिमनल जीप से भागता है और आपके दारोगा साइकिल से उसको पकड़ने के लिये दौड़ते हैं। अगर आप इसमें सुधार नहीं करेंगे तो क्राइम घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। आप क्राइम को घटाना चाहें, रोकना चाहें तो थाने को वेल इक्युप्ड करना होगा। अभी हमारे यहाँ २६ तारीख को असामाजिक तत्व ने कुछ काम किया जिससे वहाँ के लोग काफी भयभीत हो गये। वहाँ के दारोगा को आप ट्रान्सफर कर दिया और वहाँ श्री द्वारिका प्रसाद को लाया। उन्होंने वहाँ बहुत काम किया है लेकिन आप उन्हें भी स्थानान्तरित कर दिया।

परन्तु न मालूम १० दिनों के अन्दर ही उनका ट्रान्सफर क्यों हो गया है ? हम लोगों ने मांग की है कि उनका स्थानान्तरण स्थगित करके वहीं रखा जाय ताकि वहाँ की स्थिति में सुधार लाया जा सके। सभापति महोदय मैं दो-एक घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, उनका काम मुख्य रूप से रक्षा करना है, लेकिन वे भक्षक का काम करते हैं। इसलिये हम लोगों को काफी दुख होता है। इस क्रम में मैं दो-तीन घटनाओं का जिक्र कर देना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल के डाक्टरों को बी० एम० पी० के जवान ने घुस कर पीटा। बगल में डा० बिन्दू भूषण के घर में घुस कर उनको पीटा, उनकी माँ और उनके बच्चों को पीटा, उनकी पत्नी को पीटा। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के घर में घुस कर उनको पीटा और उनके सामानों को लूटा। वहाँ एस० पी० और कलक्टर मौजूद थे, लेकिन कुछ कारंवाई नहीं किये। दिनांक ९-३-७५ को भोजपुर जिला में इटाढ़ी थाना में श्री अवधेश सिंह की हत्या डाकुओं द्वारा कर दी गयी। उस गाँव में डाकुओं के गिरोह से बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया। इसलिये उनकी हत्या दो तीन दिन के बाद कर दी गयी। वहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनका सम्पर्क डाकुओं के गिरोह से है, जिसके चलते डाकुओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस बात की सूचना दो दिन पहले अनुमंडलाधिकारी को दी गयी, लेकिन उन्होंने कोई कारंवाई नहीं की। इसी कारण श्री अवधेश सिंह की हत्या हुई। इसी तरह गोपालगंज जिले के कटैया थाना के पुलिस अधिकारी की धांधली के चलते जनता काफी असंतुष्ट है। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, अच्छे और संभ्रान्त लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। हमारे क्षेत्र

में मुख्य रूप से बैल की चोरी, पम्पिंग सेट की चोरी हो रही है। एक तरफ जहाँ हरी क्रान्ति लाने की चर्चा की जाती है, वहाँ दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के द्वारा पम्पिंग सेट और बैलों की चोरी होती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सभी किसान त्रस्त हैं, लेकिन जो थाना प्रभारी हैं, उनका संबन्ध उन असामाजिक तत्वों से है, इसी कारण यह सब हो रहा है। इस तरह की २५ घटनायें हमारे क्षेत्र में हुई हैं। किसानों के लिये परेशानी बढ़ गयी है। रात भर पम्पिंग सेट के पास जाकर सोते हैं। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि वहाँ की जनता को राहत मिल सके।

श्री भोला प्रसाद सिंह—सभापति जी, कहने को तो यह स्टेट वेलफेयर स्टेट है, कहने को तो यह समाजवादी स्टेट है, लेकिन वास्तव में आन्दोलन की फसल, आन्दोलन की खेती पर, पुलिस अपना फसल काट रही है। इसके लिए बधाई है मुख्य मंत्री जी को, इसके लिए बधाई है श्री जयप्रकाश जी को। आन्दोलन की खेती पर पुलिस अपनी फसल काट रही है और बरबाद हम लोग हो रहे हैं। आज इस राज्य में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसी सदन में, इसी हाउस में एक पौलीसी निर्धारित की गयी थी कि किसी का एक्सटेन्शन नहीं देंगे। १९६७ में संविद की सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी को एक्सटेन्शन नहीं देंगे। पुलिस विभाग के एक से एक सुयोग्य और कर्मठ आदमियों को एक्सटेन्शन नहीं दिया गया। एक्सटेन्शन इसलिये नहीं दिय गया कि यह एक पौलीसी की बात थी, कोई व्यक्तिगत भावना के कारण एक्सटेन्शन नहीं दिया गया। लेकिन आपने दो-दो पुलिस अधिकारियों को एक्सटेन्शन दिया है। इससे आप इस सूबे की जो निर्धारित नीति थी, इस हूकूमत की जो निर्धारित नीति थी, उसको आप बदल रहे हैं। आप समूचे पुलिस औफिसरों में डिमोरलाइजेशन ला रहे हैं। आपको भी एक्सटेन्शन मिल रहा है आन्दोलन से, कुछ दिन मेनन साहब को आन्दोलन से एक्सटेन्शन मिला और अब आपको मिल रहा है। यदि पहले एक्सटेन्शन देने की परम्परा होती, आप और लोगों को एक्सटेन्शन दिये होते, तब आप कर सकते थे। लेकिन मैं जानना चहता हूँ कि क्या आपने एक्सटेन्शन पहले दिया है? आपको हाउस को कॉनफिडेन्स में लेकर चलना होगा।

मैं चाहता हूँ कि दारोगा बाब जब जवाब देने लगें तो इस बात का भी जवाब देंगे कि आपने क्यों एक्सटेन्शन दिया। आपको इस हाउस को कनफिडेन्स में लेकर चलना होगा। आप अपने ह्वीम पर चल रहे हैं और यह ठीक नहीं है। सरकार को चलाने के लिये कुछ नोर्म्स होते हैं वेल एस्टाबलिस्ड कन्वेंशन होते हैं और उसी पर सरकार

चलती है । आप पहले सदन को सर्टिफाइ कीजिये कि किस आधार पर आपने उनको एक्सटेन्सन दिया । आपने एक्सटेन्शन देकर पुलिस आफिसरों में डिमोरलाइजेशन ला दिया है । आपको जो सूट करता है वही करते हैं । आपने पुलिस मैनुअल बनाने के लिये एक आई० जी० को वहाल किया है, पुलिस बिल्डिंग बनाने के लिये भी आपने एक आई०जी० दिया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि ईंटा खड़ा किया है । तो आपने पुलिस मैनुअल के लिये एक आई० जी० दिया, पुलिस बिलडिंग के लिये दिया और अब सफाई केलिये भी आई०जी० दीजिएगा । मेरा कहना है कि इस तरह से पुलिस प्रशासन नहीं चलता है । आपने एक आई० जी० के स्थान पर पाँच आई० जी० दिया और अब कितना आई० जी० बनाइएगा, समझ में नहीं आता है । कमिश्नर की भी यही हालत है और आई० जी० की भी यही हालत है । मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज टौप बुरोक्रैसी का प्रशासन है । जनता को इनसे कोई फायदा नहीं है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या डकैती कम हुई ? क्या राहजनी कम हुई ? क्या चोरी कम हुई ? आये दिन बसों में भी डकैती हो रही है । आई० जी० का पद बढ़ा तो अपराध में कमी होनी चाहिये थी लेकिन आज अपराध बढ़ता ही जा रहा है । आपके पास इसके लिये क्या वहाना है । आन्दोलन चला तो आपने कितने एम० एल० एज० को प्रोटेक्शन दिया है । कितने एम० एल० ए० को हिउमिलिटी किया गया और कितने को पीटा गया, आपने किसी को प्रोटेक्शन दिया । इस सरकार में कितने की हत्यायें हो गयीं लेकिन आपकी पुलिस नहीं बचा सकी । आप भले ही अपना पीठ ठोंक लीजिये लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं । राज्यपाल अपने अभिभाषण में कहा है कि यह सरकार अच्छी है यह आन्दोलन का मुकाबला कर रही है लेकिन आप आन्दोलन का क्या मुकावला करेंगे आप तो मीसा में पकड़ कर लोगों को बन्द कर रहे हैं । समस्तीपुर में बम विस्फोट हुआ । आपको ७ बजे तक खबर नहीं थी । आपको तो रामविनोद शर्मा की पत्नी ने फोन किया तब आपको पता चला । आपके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कीं फटाका फूटा है, बम नहीं फूटा है । चीफ सेक्रेटरी उस समय रवीन्द्र भवन में थे ।

राज्य चलता है आपके चिन्तन से , जिस समय समस्तीपुर में बम फटा उस वक्त आपके आई० जी० कहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी कहाँ थे, क्या वे रवीन्द्र भवन में नहीं थे, क्लब में नहीं थे ? आप पीठ ठोकते हैं कि प्रशासन को चलाया, आंदोलन का मुका-वला किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने आंदोलन का मुकावला नहीं किया, आपने ललित वाबू का वलिदन कराया । इस राज्य में हरिजन लड़कियों के साथ वलात्कार हुआ है । ग्राम जमिन मठिया थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर के शांति उम्र १३ वर्ष,

रामकुमारी उम्र १२ वर्ष के साथ बलात्कार हुआ है। अब तक इस सिलसिले में कोई कारवाई नहीं हुई है। समूचे शाहपुर से लेकर नालंदा जिला तक नक्सलाइट का बेल्ट बन रहा है। जितने भी अपराधी है सबों के पास हथियार है। जो भले आदमी हैं उनको हथियार देने के लिये आप कानून बनाये हुये कि आप एफीडेविट कराइये, फोटो दीजिये वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ कि जितने भी अपराधी हैं वे थ्री नॉट थ्री, मशीनगन रखे हुये है। आपके जो सिपाही हैं उनसे रायफल और मशीनगन छीना जाता है, क्या आप को मालूम है कि आरा क्याय में कितने सिपाहियों का रायफल छीना गया है ? आप पुलिस बजट पर बोलते हैं, पुलिस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितने राइफल छीने गये और यह कौन छीन रहा है। जिस तरह से रेडियो रखा जाता है उसी तरह से आप हर अदमी को जो रिवालवर, राइफल खरीदते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करावें। हर क्रीमनल के पास आर्मस है और भले आदमी के पास आर्मस नहीं। आप भले आदमी के लिये कानून बनाये हुये है कि एफिडेविट लाइये, फोटो लाइये वगैरह वगैरह। आर्मस के मामले में नियम को लिबरल कीजिये।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि १८ मार्च को बाद़ पुलिस को वेतन-भत्ता आदि बढ़ाया, लेकिन हमलोगों को जो सिक्यूरिटी मिला है उसको बढ़ाया ही नहीं। आंदोलन के खेत में पुलिस फसल काट रही है। आप आई०जी० का एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप आंदोलन को कबतक भंजाइयेगा। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन को रद्द किया जाय। १८ मार्च के प्रदर्शन ने आप को बचा लिया है। हम सब रहने वाले हैं, आप भी रहने वाले हैं, आई० जी० का एक्सटेंशन को रद्द कीजिये या सभी को एक्सटेंशन दीजिये नहीं तो पुलिस फोर्स में डिमोरलाइजेशन होगा। पुलिस के बल पर आप कबतक भरोसा कीजियेगा, यह बन्दूक जो आंदोलनकारियों के तरफ है वह आपके तरफ कब फीर जायगी। मैंने ज्योति बसु को भी १९६७ में कहा था कि आप पुलिस में इन्सटीच्यूशनल चेंज कीजिये, जो पुलिस दूसरों के खिलाफ है वही कल आपके खिलाफ हो सकती है। इसलिये पुलिस को पंचायत और जिला पर्षद के तरह डिसेंट्रलाइज कीजिये, इंगलैंड और अमेरीका की तरह। जबतक पुलिस का सोसलाइजेशन नहीं कीजियेगा तबतक कोई काम नहीं होगा।

★तारणी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, पुलिस प्रशासन पर वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हुये मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिहार का प्रशासन सचमुच इतना गिर गया है कि आज लोगों को घर में रहना भी दुर्लभ हो गया है। शहरों में तो कुछ पुलिस का प्रबंध है

लेकिन गांव में रहने वाले किसानों, मजदूरों के लिये आज क्या स्थिति है। आज गांव में लोग रात को सो नहीं सकते हैं। गांव में आज चोरी और डकैती की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि लोगों का सोना हराम हो गया है। आज लोगों की खेत से फसल काट ली जाती है, जो पम्पिग सेट बैठाते हैं, बिजली का मीटर बैठाते हैं उनकी भी चोरी हो जाती है। आज लोग घर में सोयें या खेत में सोयें। अगर घर में सोते हैं तो खेत से मीटर और पम्पिग सेट, फसल गायब होजाती है और खेतों में सोते हैं तो घर में चोरी हो जाती है। प्रशासन में इतनी गिरावट आ गयी है कि लोगों को आज जीना दुश्वार हो गया है। आज गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह स्थिति यही है। सभी जगह लोगों को जीना दुश्वार है। आज मोटर, बस, ट्रेन पर चलिये तो चलना मुश्किल है, घर में चोरी और डकैती होती है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार प्रशासन की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। आज आये दिन अखबार में पढ़ते हैं कि रोज चोरी डकैती इतनी बढ़ गयी है कि लोगों को रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि सुल्तानगंज थाना के बगल में ११ बजे से ५ बजे तक डकैत और पुलिस के बीच फायरिंग होती रही और इन दोनों के बीच ५०० राऊंड गोली चली और पुलिस भी मुकाबला करती रही। तो आप समझ सकते हैं कि डकैतों का कितना बोल बाला हो गया है।

आज गांव में डकैती होती है लेकिन गांव के लोग उन डकैतों को पहचान कर भी उनका नाम नहीं बताते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं है। एक गांव में किसी एक आदमी के पास बन्दूक का लाईसेन्स रहता है तो उस गांव में कम-से-कम २०-२५ बन्दूक बिना लाईसेन्स के रहता है। सरकार के पास लाईसेन्स के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसकी इतनी छानबीन की जाती है, इतनी खोज होती है, इसमें इतनी प्रक्रिया है और इतना पैसा थाना से लेकर एस० पी० और कलक्टर के औफिस में देना पड़ता है कि इन्सान को लाईसेन्स लेने के लिए जाते-जाते परेशान हो जाता है। २-२ चार-चार वर्ष लग जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डकैत गांव में बिना लाईसेन्स का २०-२५ बन्दूक रख सकता है और गांव का किसान बन्दूक के लाईसेन्स के लिए आवेदन पत्र देता है तो सरकारी विभाग, पुलिस विभाग इतनी छानबीन करता है कि लगता है कि इन्सान ही डकैत है और डकैत इन्सान। आज डकैत खुलेआम बन्दूक रखता है, गांव में लेकर घूमता है और गांव के लोग डर से उनलोगों का नाम नहीं बताते हैं पहचानने के बाद भी। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि भोला बाबू ने जो प्रस्ताव रखा है कि किसानों को और गांव

के लोगों को बन्दूक के लाईसेन्स में कुछ सहूलियत होनी चाहिए रियायत होना चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बन्दूक ले सकें। तभी वह मुकाबला कर सकते हैं, नहीं तो गांव के रहने वाले लोग चारों और डकैतों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपका प्रशासन इतना ढीला है कि उसकी गति वही है जो अंग्रेजों के समय में कई गांवों में रहने वाले किसानों पर जुल्म और अत्याचार पुलिस विभाग द्वारा होता था वह आज भी कायम है। आज किसी के यहाँ चोरी या डकैती होती है तो दूसरे तीसरे आदमी को जो बेगुनाह है उसको पकड़कर घसीटा जाता है; तबाह किया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि आज प्रशासन के नाम पर किसी भी एस० डी० ओ० कोर्ट में किसी भी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस की पेशी होती है। जब कोई मुद्दई और मुदायले अपने केस की तारीख लेने जाता है पेशकार के पास तो दोनों से पेशकार पेशी के नाम पर ५ रुपया पेशी लेता है। मैं समझता हूँ कि कम-से-कम २००-३०० रुपया प्रति दिन पेशकार लेते हैं और खुलेआम लेते हैं। आप रजिस्ट्री औफिस में जाइयेगा वहाँ भी रजिस्ट्री में परसेन्टेज बंधा हुआ है १० आना और ६ आना, तो आज आपका प्रशासन इतना गिर गया है।

सभापति (श्री राधानंदन झा)—आप पुलिस प्रशासन पर बोलिये, रजिस्ट्री औफिस या कोर्ट पर नहीं।

श्री तारणी प्रसाद सिंह—मैं मुख्य मंत्री महोदय, से कहूँगा कि आज भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है और पुलिस प्रशासन इतना ढीला हो गया, इसके चलते चोर डकैत का मिजाज बढ़ गया है। आज ट्रेन में बस में या कहीं भी खुलेआम चोरी, डकैती हो रही है। मुंगेर जिले में, दक्षिण मुंगेर में खड़गपुर, सिकन्दरा आदि क्षेत्र में डकैत लोग बन्दूक लेकर इस तरह घूमते हैं जिस तरह पुलिस का दल घूमता है, ये डकैत लोग दिन में घूमते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इसकी रोक-थाम के लिए कारंवाई करे। कम-से-कम थाने में जो नागरिकों की बैठक होती है उसमें लोगों का विचार लिया जाय, गांव के लोगों के प्रोटेक्शन दिया जाय ताकि वे चोर डकैत का नाम कह सकें। सरकार को चुस्ती और मुस्तैदी से इसको रोकने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री बैरागी ऊरांव—सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं उसका समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमलोग हर साल देखते हैं कि पुलिस विभाग के लिए डिमान्ड आता है और

पास हो जाता है लेकिन पुलिस में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। हमलोग ने इसी विधान-सभा में सुना था जब केदार पाण्डे चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े जोड़ देकर कहा था कि हम यह करने जा रहे, वह करने जा रहे हैं। पुलिस को वायरलेस सेट देंगे, जीप देंगे लेकिन कुछ नहीं दिया। पाण्डे जी चले गये गफूर साहेब आ गये लेकिन उसमें कुछ भी परिवर्त्तन नहीं आया। पता नहीं कि बार-बार इसी विधान-सभा में एक चीफ मिनिस्टर आश्वासन देता है और उसका पालन नहीं होता है। इसलिए कुछ भी सोच-समझकर ही कहना चाहिए सिर्फ ताली पीटवाने के लिए नहीं बोलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर समस्या की ओर चीफ मिनिस्टर का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

राँची जिले के रायडी थाना के ग्राम कसीरा के लोग घूस में रुपये दिये। मैंने जब चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को लिखी तो इन्क्वायरी में श्री ए० एस० पी० राँची गये। वहाँ के लोग जमादार को करीब १९०० रु० घूस में दिये थे। डी० एस० पी० को बराबर खबर की जाती है कि केस फ्रेम कीजिए।

दूसरा केस राँची जिले के डुमरी थाना के ग्राम गोविन्दपुर का है। यह मामला एक इन्टरस्टेट डिसप्यूट है। मध्य प्रदेश के पुलिस बिना अनुमति प्राप्त किये ही उस गाँव में घुस गये। मध्य प्रदेश के पुलिस जमादार के साथ-साथ कई गुंडे भी गोविन्द पुर में घुस गये। वे करीब १० बजे शराब पी कर आये थे और एक-ब-एक हमला बोल दिये। सरीना नामक एक मुसलमान औरत को उन लोगों ने पकड़ लिया और बे-इज्जत करने पर उतारू हो गये। यही नहीं, उन लोगों ने एक डेढ़ साल के बच्चे को पैर से दबा दिया था तथा कुछ लोगों के गले को दबा दिया था। हुजूर, इसकी इनक्वायरी में दारोगा को नहीं भेज कर जमादार को भेजा गया था। उसके बाद डी० एस० पी०, श्री पाठक गये थे। पाठक गाँव में नहीं जा कर दूसरे गाँव डेढ़गाँव में गये और वहीं पर इनक्वायरी कर अपना प्रतिवेदन दिये। १६ आदमी के विरुद्ध वारंट था जिसमें ६ आदमी अरेस्ट किये गये। २१०० रु० पुलिस विभाग को घूस के रूप दिया गया है। पता नहीं, कौन घूस लिया लेकिन इस तरह से रुपया घूस में लिया जा रहा है।

तीसरा मामला १३-१-७५ के चैनपुर का है। वहाँ एक लड़के का मर्डर हो गया। एक लड़की और एक लड़का जा रहा था और कहा जाता है कि दोनों में आपस का सम्बन्ध अच्छा नहीं था। लगभग पाँच बजे दोनों जा रहे थे। एक आदमी

ने पूछा कि तुम लड़की को ले कर कहाँ जा रहे हो। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं और उसके बाद पता चला कि लड़के का मर्डर हो गया। १० दिनों तक दारोगा साहब ने कुछ भी इनक्वायरी नहीं किया। जो भी इमफौरमेशन उन्हें मिला था, उसे वे दबाने के फिक्र में थे। इस मामले में उन्होंने ७०० रु० घूस लिया है। हो सकता है एक सप्ताह के अंदर वह आत्महत्या कर ले। उसने रायगढ़ से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह हमेशा जहर की शीशी अपने पास रखता है। उसने यह भी लिखा है कि वह अब बिहार में न मरकर बनारस में मरना चाहता है। उसका किस्सा इस प्रकार है कि वह गुमला में हाजिर होने जा रहा था तो दारोगा ने कहा कि तुम तीन हजार रुपया दो तो बच जाओगे नहीं तो बीस वर्ष तक जेल में रहोगे। इस पर से उसने कहा कि मेरे पास रुपया नहीं है और उस दिन से वह लुक छिप कर इधर-उधर भटक रहा है। और अपने भटकने के ही सिलसिले में उसने यह पत्र रायगढ़ से लिखा है। आज हालत यह है कि किसी तरह के क्राइम की सूचना देने पर पुलिस जाँच पड़ताल करने के बदले सूचना देनेवाले पर ही केस कर देती है और उसे तरह-तरह से तंग करती है। मैं कहता हूँ कि दारोगा जी को यह कहने का क्या हक था जब कि उसपर अभी तक न केस फ्रेम हुआ है और न चार्जशीट ही दिया गया है। विगत २४ तारीख को गुमला में एक अज्ञात लड़के की हत्या कर दी गयी। दारोगा ने शक पर एक आदमी को पकड़ा है। आज देहात के जो अशिक्षित लोग हैं वे किसी भी तरह की सही सूचना थाने में देने जाते हैं तो उनपर केस किया जाता है, उनसे रुपया माँगा जाता है और न देने पर उनलोगों को तरह-तरह से तंग किया जाता है। इस तरह से मैं गफूर साहब से पूछता हूँ कि किस तरह से शासन का काम चल सकता है। आज आप इस तरह के बेईमानों का साथ दे रहे हैं। मैं इतना ही कहकर बैठ जाता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी।

★श्री आजम—सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री संत प्रसाद सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। यह सही है अमल से जिन्दगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी, यह खाकी अपनी फीतरत में न नर है न नारी है। माननीय सदस्य श्री राधानन्दन झा जी ने इस हाउस में जो कहा था वह मुझे याद है कि यदि कोई अच्छी चीज विरोधी दल की ओर से भी लायी जाय तो सरकार को उसे मान लेना चाहिये और इसी तरह से ट्रेजरी बेन्च की ओर से भी कोई अच्छी चीज कही जाय तो विरोधी दलों को उसमें

से सिर्फ खराबी ही नहीं ढूंढ़नी चाहिये। मैं सिपाही के औलाद का बेटा हूँ। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि मेरे पूर्वज बहुत दिनों से सिपाही में नौकरी करते आ रहे हैं। पुलिस का जो आज घिनौना रूप है उसके बदले में पुलिस को परफेक्ट, ओबिडिएन्ट, ला एँड आडर मेनटेन करनेवाला और जनता का सही मानी में सेवक होना चाहिये। गफूर साहब को चाहिये कि १९६१ में पुलिस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसको मान कर अमल में लावें। आनन्द मुल्ला ने भी पुलिस पर जजमेंट दिया है सरकार को उसपर भी ध्यान देना चाहिये। आज आपकी पुलिस के बारे में गाँव-गाँव में क्या चर्चा है? अंगरेजों के जमाने में बिहार सरकार का टोटल बजट साढे चार करोड़ का था हर विभाग का जब कि बिहार सरकार की आज का जो बिहार की जनता की खून और पसीना की गाढ़ी कमाई का पैसा है, सिर्फ पुलिस बजट में १९७२-७३ में १९ करोड़ २३ लाख ८१ हजार का था और १९७३-७४ में २५ करोड़ १८ लाख से ऊपर का है फिर वह १९७४-७५ में २२ करोड़ ६७ लाख से ऊपर है और पुनरीक्षित बजट २६ करोड़ ६७ लाख का है। अंगरेजों के जमाने में पुलिस की कुल संख्या इस राज्य में कुल ११ हजार थी वह बढ़कर आज ४६,५४७ हो गयी है इसमें बड़े-बड़े ओहदे वाले भी अफसर हैं ४६,२६७ नीचे के रैंक के सिपाही हैं। चन्द वर्षों में इतनी संख्या में बढ़ जाने पर भी १९६२ से लेकर १९७३ तक अपराधकर्मों में जो वृद्धि हुई है वह बहुत ही शर्मनाक है।

जयप्रकाश बाबू के लोग डिमोक्रेसी को खतम करना चाहते हैं, इस सिलसिले में एक साल के अन्दर कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, इसे मैं मानता हूँ। उत्तरा खंड में क्या हुआ? स्वर्गीय एल० एन० मिश्र की हेफाजत के लिये ५ हजार पुलिस खड़ी थी और जब बम फटा तो सारी पुलिस भाग गयी, शर्म है ऐसी पुलिस पर, आई० जी० घोष को डूब मरना चाहिये। इंगलैण्ड, अमेरिका, नारवे, वगैरह में पुलिस अफसरों पर एखराजात कम है मगर हमारे यहाँ आई० जी०, डी० आई० जी० और एस० पी० पर लक्जरी एखराजात है, उनके क्लब पर बहुत खर्च होता है, उनके नौकर, उनकी सारी चीजों को देखने से ऐसा पता चलता है कि वे सातवीं जन्नत में रहते हैं। चोरी-डकैती रोकने के लिये, दंगे रोकने के लिये पुलिस हमेशा खड़ी रहती है। पुलिस मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर और अन्य मिनिस्ट्रों की हेफाजत के लिये सिपाही बराबर खड़े रहते हैं लेकिन आप उनको देते क्या हैं? वह हमसे सुनिये। बिहार में प्रति पुलिस पर २ रु० ८० पैसे, आन्ध्र में ३.८० पै०, उड़ीसा में ३.३० पैसे, और आसाम में ७ रु० ५३ पैसे खर्च होते हैं। पुलिस कमीशन ने १९६१ में अपनी रिपोर्ट पेश

की थीं उसमें रिकोमेन्ड किया था कि पुलिस लोगों का मोशहरा बहुत कम है उसे बढ़ना चाहिये ।

दो बार कमीशन बना । इन सिपाहियों के जरिये जो वफादार है, ईमानदार है वे ही डकैती रोक सकते हैं न कि इन अफसरों के जरिये । मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी जगह किसी दूसरे को आई० जी० रक्खा जाये जो महिला हो तो वह कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकती है और चोरी-डकैती एवं करप्शन को रोक सकती है । आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है और ऐसा संविधान कहीं नहीं है । यह एक सेकुलर संविधान है । इसलाम मानने वाले भी मूर्त्ति पूजा के खिलाफ नहीं हैं यह बिहार सरकार के पुलिस मिनिस्टर को भी मालूम है । मिस्टर डब्लू० मोईन मेरीवाट द्वारा लिखित "मैजेस्टी वेट ओअन इसलाम", जो पुस्तक है उसका अनुवाद रामकृष्ण एण्ड संस न्यू दिल्ली द्वारा भी किया गया है और यह पुस्तक बिक रहा है और बहुत शर्म की बात है कि यह पुस्तक यहाँ लाईब्रेरी में भी मौजूद है । इस पुस्तक के ऊपर पैगम्बर साहब का फर्जी चित्र है । लेकिन आज तक इस नाजायज पुस्तक की बिक्री पर आपकी पुलिस रोक नहीं लगा सकी है । महात्मा गाँधी और नेहरू ने कहा था और आज श्रीमती इन्दिरा गाँधी कहती हैं कि हकबात बोलना चाहिये और मैं हकबात ही बोलूंगा । आप कहते हैं कि बहाली में माइनरटीज को फैसलीटीज दी जायेगी लेकिन जो पुलिस की भर्त्ती हुई है उसमें दो पैसे के बराबरा भी माईनरटीज क्लास वाले को बहाल नहीं किया गया है । अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हुँ कि बहादुर-गंज में हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों ने पैसा जमा किया कि वहाँ मस्जिद बने लेकिन वहाँ के थानेदार ने उसको रोक दिया । सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया लेकिन सरकार कान में कड़ुआ तेल डालकर बैठी हुयी है । पुलिस के अन्दर आप ऐसे लोगों को रक्खें जो डिसीपलीन के मामले में सख्त हों जिनका पत्थर का सीना हों । शेरशाह ने कानून बनाया था कि जिस थाने में डकैती होगी उस थाने के दारोगा ही दोषी होंगे, यही व्यवस्था यहाँ भी रहनी चाहिये ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब पुलिस के बजट पर वाद-विवाद शुरू हुआ था तो विरोधी दल के सदस्यों ने कहा था कि बजट डिबेट के अवसर पर पुलिस के अफसरान को रहना चाहिये ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—वे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उनलोगों को पुलिस यूनिफौर्म में रहना चाहिये न

कि सादे में। यह कोई क्लब नहीं है, यह विधान सभा है। हमलोग कई आई० पी० एस० को देखें हैं जो ड्रेस में आते थे।

सभापति (श्री राधानंदन झा)—ठीक है, बैठिये।

श्री रघुनाथ झा—माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पुलिस प्रशासन की माँग पेश की है उसका में समर्थन करता हूँ। महोदय, १९७२ के आम चुनाव में जब हमलोग नये-नये चुनकर विधान सभा में सदस्य होकर आये थे और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री केदार पांडे जी ने आरक्षी विभाग की माँग करते हुए पुलिस प्रशासन में सुधार के लिये तथा उनमें चुस्ती लाने के लिये जो माँग पेश की थी उस ओर में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब श्री पांडेजी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार प्रत्येक थाना को वायरलेस, टेलीफोन, और बिजली से सुसज्जित करेगी किन्तु क्या यह हुआ ? उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस की संख्या बढ़ेगी और प्रत्येक थाना को अपना मकान बनेगा किन्तु जहाँ हम पहले थे आज भी वहीं हैं। मैं कोई भावना से नहीं कह रहा हूँ बल्कि पुलिस विभाग इस प्रान्त में बराबर से उपेक्षित रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बराबर से यह विभाग मुख्य मंत्री की देख-रेख में रहा है और मुख्य मंत्री के जिम्मे इतना काम रहता है कि वे ठीक से देखभाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर महामाया बाबू के नेतृत्व में जब संविद की सरकार बनी थी, तो उस वक्त श्री रामानन्द तिवारी के जिम्मे यह विभाग मिला था। इस विभाग के मंत्री का पद बहुत ही जिम्मेवारी का पद है, इसलिये इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पहले १७००० फोर्स के रहने का स्थान था वहाँ आज ५२००० फोर्स रहते हैं और पूरे प्रान्त में ६२८ थाने हैं जिनमें ४०० से अधिक का अपना मकान नहीं है। आपकी ओर से आई० जी०, डी० आई० जी० के पद की संख्या जिस अनुपात से बढ़ी है, नीचे की पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है। आज से ५-१० वर्ष पहले जितनी इनकी संख्या थी, आज भी वही है। नीचे की पुलिस की संख्या बढ़ाने से आपको कौन मना किया था। ला एन्ड आर्डर को मेनटेन करने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। एक साल से श्री जे० पी० के नेतृत्व में इतने बड़े प्रतिक्रियावादी आन्दोलन चल रहे हैं, इसमें जो पुलिस के आदमी मुस्तैदी से काम किया है, उसको आपको विशेष भत्ता देना चाहिये था।

इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग में जो भी आपके दक्ष पदाधिकारी हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको

वहाँ से हटा देते हैं। जो एस० पी० जहाँ पर अच्छा काम करते हैं उनको वहाँ से आप हटा देते हैं और ऐसे एस० पी० को भेज देते हैं जो और भी प्रोवलम क्रिएट कर देते हैं। मैं अपने सीतामढ़ी के बारे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के एस० पी० के पोस्टिंग के बारे में बरावर झंझट होता आया है, इसके लिये विधान सभा में भी कहा गया है, जिसकी जानकारी सभापति जी, आपको भी व्यक्तिगत रूप से है, वहाँ का वर्तमान एस० पी० अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इनको आप हटाना चाहते हैं। आप हटावें, यह आपका काम है लेकिन अच्छे एस० पी० को दें। उस तरह के एस० पी० को वहाँ नहीं भेजे जो एन्टी गवर्नमेन्ट का काम करते हैं। आपके पुलिस विभाग में जो साधारण सिपाही हैं, वे आपके खिलाफ हैं, चूँकि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर की घटना साधारण नहीं है। वहाँ कलक्टर और एस० पी० के मौजूदगी में पुलिस के जवानों ने एक डाक्टर के घर में घूसकर उनके पूरे परिवार पर जुल्म ढाया।

सभापति महोदय, टी० आई० पैरेड के लिये कहा गया लेकिन टी०आई० पैरेड नहीं कराया जाता है। सात वर्ष का एक बच्चा है वह कहता है कि यदि टी० आई० पैरेड कराया जाय तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन आपने टी० आई० पैरेड नहीं कराया। आप इस बीच साजिश कर रहे हैं और जो लोग इस घटना के ज़बावदेह हैं उनको वहाँ से हटा रहे हैं। यदि इसी तरह की मनोवृत्ति यहाँ की पुलिस की रही तो यहाँ की हालत उस तरह की होगी जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें और इस तरह की मनोवृत्ति को दबाने के लिए ठोस कदम उठायें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दानापुर कालेज में जो घटना हुई उसके संबंध में। दानापुर कालेज के छात्र और वहाँ के प्राध्यापक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ नहीं दिया और वे एक्जामिनेशन में सिरकत किया। लेकिन वहाँ एक साधारण-सी घटना हुयी सरस्वती पूजा को लेकर जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप आपकी पुलिस ने कालेज में घूसकर वहाँ के प्रोफेसरों को, छात्रों को और चपरासियों को बूरी तरह से मारा। इस तरह का अन्याय तो आपकी पुलिस करती है, इसलिये आपको इस पर ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जिला से मैं आता हूँ वह सीतामढ़ी जिला है। वहाँ हमेशा डकैतियाँ होती हैं। एक-एक रात में

एक एक थाना में तीन-चार डकैतियां होती हैं। थाना में ही नहीं बल्कि एक-एक गाँव में एक रात में तीन-तीन, चार-चार डकैतियां होती हैं। इसका कारण यह है कि यह जिला नेपाल बोर्डर पर पड़ता है। क्रिमिनल वहाँ से आते हैं और वहाँ डकैती करते हैं लेकिन सभापति महोदय, इन्होंने जो सारे बोर्डर इलाके में दारोगा को पोस्टिंग किया है, इसके संबंध में सीतामढी के विधायकों ने लिखकर भी दिया है, सीतामढी जिला में अधिकतर दारोगा ऐसे हैं जिनकी उम्र ५०-६० साल की है और जो क्रिमीनल से लड़ नहीं सकते हैं और न पकड़ सकते हैं और न पकड़ने के लिये मिहनत करते हैं। एक सिपाही के संबंध में हमलोगों ने लिखकर दिया, जो इन्सपेक्टर कि हमेशा से आपका साथ देता है और अपने ऊपर जोखिम उठाकर, पिटाई खाकर भी कमुनल राईट होते-होते बचाया, उस इन्सपेक्टर का नाम मंगल प्रसाद सिंह है, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं दिया। उक्त इन्सपेक्टर ने बाढ के समय एक नाव दुर्घटना में ४० आदमियों की जान स्वयं पानी में कूदकर बचा ली। उसके इस कारनामे से पूरे जिले में उसकी प्रशंसा होती है। अधिकारियों को उसकी प्रोन्नति के लिए लिखा गया, परन्तु आप उनकी तरक्की नहीं देते हैं। मुख्य मंत्रीजी, आपको स्वयं इसे देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जिसकी चर्चा एक प्रश्न के माध्यम से की गयी थी। हमारे सीतामढी जिला में बेरगनियां थाना में बंगही गाँव में जो डकैती हुई उसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि डकैती होने के स्थान से आधा मील की दूरी पर पुलिस जमादार आर्मड फोर्स के साथ था, उनको खबर दी गयी लेकिन उस जमादर ने कहा कि हम वहाँ नहीं जायेंगे। दस बजे रात में डकैती होती रही लेकिन आपकी पुलिस वहाँ नहीं गयी। जब इसके संबंध में सदन में प्रश्न किये गये तो आपके मात्र उसको सस्पेन्ड कर दिया। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार की कि खबर देने पर भी जमादार नहीं गया लेकिन सिर्फ उनको सस्पेन्ड किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जिसको स्वयं स्वीकार किया है और जिस थाना के चलते और जिसके सहयोग से डकैती हुई उसपर उचित कार्रवाई की जाय। सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि सरकार इन सारी बिन्दुओं पर ध्यान देकर शीघ्र उचित कार्रवाई करे।

श्री भुनेश्वर शर्मा—सभापति महोदय, जिस राज्य की पुलिस जनतंत्र-विरोधी आंदोलन से निबटने में निष्क्रिय रहे, जिस राज्य में बढ़ते हुये अपराधकर्मी के रोकथाम करने में विफल रहे, जिस राज्य की पुलिस ललित बाबू जैसे केन्द्रीय मंत्री की जान की रक्षा करने एवं अपराधकर्मी को पकड़ने में असफल हो, जिस राज्य की

पुलिस असामाजिक तत्वों द्वारा विधायकों को पिटवाने एवं अपमानित होने से बचाने में विफल हो। जिस राज्य की पुलिस कम्यूनिस्ट नेताओं एवं उनके परिवार के लोगों को मरवाने में संलग्न हों, तो मैं समझता हूं कि उस विभाग के लिये एक पैसे की मांग भी स्वीकृत करना उचित नहीं है।

हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले १९ फरवरी को धनबाद में तीन कम्यूनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की हत्या करा दी गयी और वहां जब से एस० पी० श्री तारकेश्वर प्रसाद हैं, तब से वहां कम्यूनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की हत्या हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या उचित है कि इस सरकार को एक भी पैसा बजट के रूप में दे दिया जा सके।

भुरकुण्डा लोकल कमिटी के सेक्रेट्री के भाई को २१ फरवरी को हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया, लेकिन वहां के दारोगा ने उस टैक्सी ड्राइवर को अपना स्टेटमेंट बदलने के लिये डराने धमकाने लगा, चूंकि वह ड्राइवर इस सम्बन्ध में अपराधकर्मियों का नाम बतलाया था। इसके बावजूद भी वह टैक्सी ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। लेकिन आजतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

नौवतपुर थाना के नारायणपुर गांव में आज से करीब तीन महीने पहले एक भीषण डकैती हुई जिसमें एक औरत को गोली लगी और वह मर गयी। घायल अवस्था में उस औरत ने डकैत का नाम बताया, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जब लोकल नेताओं ने इस सम्बन्ध में आवाज उठायी तो पुलिस ने कुर्की जप्ती के लिये गयी जिसमें एक लोटा और थाली जप्त कर लायी।

सभापति जी, नौवतपुर कालेज का परीक्षा केन्द्र दानापुर में होने के बाद ९५ प्रतिशत लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुये, लेकिन पुलिस की ओर से लड़कों को धमकाया जाता था कि परीक्षा में सम्मिलित होओगे तो लोग पीटेंगे और पुलिस द्वारा भी लड़कों को पिटवाया गया।

मसौढ़ी में हजारों मन गल्ला सरकारी गोदामों से गत मार्च में लूटा गया और उसका नेतृत्व आर० एस० एस० के नेता कर रहे थे, लेकिन वहां का दारोगा उनको थाना में बुलाकर उनके साथ चाय पीते रहे; गिरफ्तार नहीं कर सके। जो दारोगा सरकारी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सके, उसे सरकार के लिये पुलिस सेवा में रखना, यह कहां तक लाजिमी है।

सभापति जी, नौवतपुर के ममरेजपुर एक गाँव में पाँच मुशहरों को वहाँ के दारोगा ने उनको नक्सलपंथी घोषित कर गिरफ्तार कर लिया और तंग किया। वहाँ के मुशहर काफी भयभीत हो गये हैं। वे मुशहर जो दो सेर रोज मजदूरी करके खाते हैं, उनको नक्सलपंथी कह कर तंग किया जा रहा है। वे सब घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन मुशहरों को दारोगा पकड़कर पिटवाता है।

दानापुर कालेज के पास कुछ छात्र चन्दा माँगने के दरमियान में ए० एस० पी० से भी चन्दा माँगा, जिस पर वे छात्रों पर बिगड़ गये और कहे कि मैं उसका मजा चखवा देता हूँ और वहाँ पुलिस भेज कर उनको पिटवाया और लाठी चार्ज कराया। प्रिंसपल और अफसरों पर मुकदमा भी चलाया गया।

अब मैं भगवानपुर बाजार की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। भगवानपुर बाजार में १९६९ के पहले तक पुलिस चौकी थी, लेकिन वह हटा लिया गया है। भगवानगंज जहानाबाद, पालीगंज और मसौढ़ी का बोर्डर है। वहाँ के निवासियों ने प्रधानमंत्री को दरखास्त दिया और गफूर साहब को भी दरखास्त दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वहाँ पर चौकी की व्यवस्था की गंभीरता पर विचार करें। लेकिन १९६९ में वहाँ से चौकी हटा ली गयी और सारे प्रयास के बावजूद चौकी नहीं लायी गयी। सरकार को उसपर कदम उठाना चाहिये। आप एक ओर आई० जी० का पद बढाते हैं, डी० आई० जी० का पद बढ़ाते हैं। जहाँ पहले एक आई० जी० का पद था वहाँ बढ़ाकर ग्यारह पद कर दिये, डी० आई० जी० के पद को भी इसी तरह बढ़ा दिये। यानी राजपत्रित पदाधिकारियों के पद को बढ़ाते जाते हैं दूसरी ओर जब से मैंने होश संभाला है, थाने में जो सात सिपाही रहते थे उतनी संख्या अभीतक है और उसमें से एक-दो सिपाही छुट्टी पर चले जाते हैं तो भी उनको उतने ही से काम चलाना पड़ता है। चौकीदार का वेतन आप इस समाजवादी सरकार में जो १८ रु० देते हैं उससे आज उनका कैसे काम चल सकता है? अपने को समाजवादी कहलानेवाली सरकार के राज्य में आज उनकी क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सरपंच जो चौकीदारी वसूल करते हैं तो उनको भी पैसा नहीं मिलता है। दारोगा और जमादार के आवास की व्यवस्था थाने में है लेकिन सिपाही के आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। नौवतपुर थाने के सिपाही बरगद के पेड़ के नीचे खाना पकाते हैं। इस कल्याणकारी राज्य में उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है।

अन्त में एक बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। थाने में आज मंदिर और मस्जिद बनाने की इजाजत इस सरकार ने दे रखी है। धर्मनिरपेक्ष

कहलाने वाली सरकार जब थाने में मंदिर बनाने की इजाजत देगी तो उसका क्या असर पड़ेगा ? जब उस थाने में कोई मुसलमान दारोगा आयगा तो उसकी मुर्गी मंदिर में चली जायगी और इसको लेकर हंगामा मचेगा। इसके बारे में मैंने एक प्रश्न किया था नौबतपुर थाने के बारे में जहाँ मंदिर बना दिया गया है। लेकिन उसपर कुछ नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती-प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इस निकम्मी सरकार को पुलिस मद के लिये एक भी पैसा देने का विरोध करता हूँ।

श्री शिव रंजन खाँ—सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का मैं समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ जबकि इस पुलिस पर मुझे बोलने की इच्छा नहीं थी किन्तु तिथि १०-१२-७४ को जो ध्यानाकर्षण सूचना दिया और उसका लिखित जवाब १८-१२-७४ तक देने का था किन्तु उस समय नहीं मिल पाया एवं २६-२-७५ को एक रिमायन्डर मैंने दिया जिसका जवाब आज ही प्राप्त हुआ जो सत्य के विपरीत है। इसलिये सदन का ध्यान एवं मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये अपना विचार रखना चाहता हूँ। घटना इस प्रकार की है। तिथि ४-११-७४ को श्री जय-प्रकाशजी के आन्दोलन के आह्वान पर दूकान बन्द करने का चकुलिया छात्र परिषद संघ आग्रह किया था उस सिलसिले में चकुलिया डाकबंगला में ३-११-७४ को शाम के आठ बजे चकुलिया प्रखंड कांग्रेस कर्मी एवं चाकुलिया युवक कांग्रेस कर्मी का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें सैयद लालू राय, नाशिम, गेंदुआ इत्यादि डाक-बंगला में आये थे एवं हमलोगों को उपस्थितन हीं पाकर वे लोग लौट गये थे। लौटने के वक्त कयूम टेलरिंग शौप का वहाँ सैयद, लालू राय, नासिम, गेंदुआ पर प्रहार हुआ जिसमें सैयद, लालू राय एवं नासिम घायल की अवस्था में जमशेदपुर लाया गया जहाँ सैयद और नासीम की मृत्यु हो गयी। इसकी जानकारी ८-१५ बजे चाकुलिया कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री चन्द्र कुमार मिश्रा ने थाना को दिया किन्तु पुलिस उनलोगों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जिन्होंने खतरनाक हथियार से घायल किया था जिसके फलस्वरूप चन्दलोगों की मृत्यु हो गयो। यह घटना थाना के दो सौ गज की दूरी पर घटी थी। पुलिस का कर्त्तव्य था कि तुरत घटनास्थल पर पहुँचकर ऐसे असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करती किन्तु पुलिस का समय पर नहीं आने के कारण सभी फिरार हो गये या यह कह सकते हैं कि पुलिस पैसा लेकर उन-लोगों को भागने की छूट दे दी। उसके बाद सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि सहायक आरक्षी महानिरीक्षक थाना पर थे, यह बिल्कुल असत्य है। जमादार, मुंशी छोड़कर थाना में और कोई नहीं था। दुर्गापूजा कमिटी की बैठक तिथि २०-१०-७४

को थी जिसमें श्री पी०डी० झुनझुनवाला, पास दरी, कुर्सी यानी पूजा कमिटी का सामान चार्ज लेने के लिये राधेश्याम रूंगा को बुलाया लेकिन वह चार्ज देने से इंकार किया क्योंकि श्री झुनझुनवाला प्रेसिडेंट था क्योंकि वैध नहीं था। जब गर्मागरम बात हो रही थी तब वहाँ बहुत आदमी इकट्ठे हुए जिसमें विष्णु पद राय वगैरह को झुनझुनवाला बोला कि आपलोग सदस्य नहीं हैं आपलोग बाहर चले जाइये। इस बात को लेकर सभा में और गर्मी आ गयी एवं मनी शुक्ल ने इसका प्रतिवाद किये तो श्रीझुनझुन वाला उनको मारने के लिये उठा और इसकी खबर अपने आदमी को दे दी जिसका नतीजा हुआ कि झुनझुनवाला का आदमी सब तरफ से एकत्र हो गया। मृत लालू राय को जब यह मालूम हुआ कि सभास्थल पर उनके भाई का अपमान किया गया तब लालू राय सभा स्थल पर पहुँचे तथा झुनझुनवाला को अपमानित किये। इस पर झुनझुनवाला ने धमकी दी कि लालू राय को एक सप्ताह के भीतर हम देख लेंगे। साक्षी के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के पास बहुत से आदमी गवाही भी दिये हैं। तिथि २१-१०-७४ श्री झुनझुनवाला स्थानीय के० एन० जे० हाई स्कूल में ६० आदमियों को लेकर एक मिटिंग की जिसमें सब आदमी बोले कि इस मामले में श्री झुनझुनवाला जो कदम उठायेंगे, या जो ऐक्शन लेंगे हमसब लोग उनके साथ रहेंगे। २२-१०-७४ को चकुलिया समाजवादी कांग्रेस मंच के प्रेसिडेंट नसीरुद्दीन अंसारी ने २१-१०-७४ को जो मिटिंग हुई, उसकी सूचना सी० आई० डी० घाटशिला को दी एवं कहा गया कि क्यूम, राँची टेलर, कालो, नेपाली, इदरीस, नसरत, लालू राय को मारने के लिये जो योजना झुनझुनवाला ने बनायी उसकी सूचना दी। नसरत उस पार्टी को छोड़ दिया और इसकी खबर लालू राय को दी। २३-१०-७४ को श्री झुनझुनवाला ने थाना में सूचना दी कि सात आदमी से उनके जीवन पर खतरा होने का डर है जिसमें लालू राय एवं द्वारिका रुंगटा का नाम उल्लेख है। २६-१०-७४ को लालू राय बम्बे के लिये रवाना हो गये एवं ३-११-७४ को १३ बजे २९ डउन बम्बे हावड़ा से चकुलिया लौटे। उसी रोज लालू राय डेथ कर गये। क्यूम का ग्रुप साम ७ बजे झुनझुनवाला से मिला और उसी के बाद वह अपनी दुकान में आया। ८ सवा आठ बजे रात में यह घटना घटी है। मर्डर के समय में निजाम गुलटन, छितीज उपस्थित थे लेकिन उन लोगों का जमाबन्दी ठीक से नहीं लिया गया। धनंजय, खेमराय, सतो राय जो वहाँ पर मौजूद थे वे लोग लालमोहन राय को मारने के लिये मदन एवं कालू को देखा। झुनझुनवाला बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है एवं चकुलिया में सबसे अधिक पैसे वाला है। वह अपना प्रभावविस्तार कर सत्य घटना पर पर्दा डालने का षड्यंत्र कर रहा है, कोशिश कर रहा है एवं ध्यानाकर्षण का जो सरकारी वक्तव्य

आया है उसको देखने से पता चलता है कि वे पर्दा डालने में बहुत सफलता प्राप्त किये हैं। इस मामले के बारे में मुख्य मंत्री जी को ४-११-७४ को टेलिग्राम दिया गया तथा आई० जी० पुलिस को भी टेलिग्राम दिया गया जिसमें मांग की गयी कि इस घटना की जांच इस पुलिस ऑफिसर से नहीं हो सकता है क्योंकि वे सब झुनझुनवाला से प्रभावित हो गये हैं। इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय। इसी के बाद में मुख्य मंत्री जी से मिला था और एक दरख्वास्त उनको दी थी जिसमें आग्रह किया था कि इसकी जांच सी० आई० डी० से कराई जाय नहीं तो सही पता नहीं चलेगा। क्योंकि श्री झुनझुनवाला पुलिस को मिला लिया है। मैं आज भी मांग करता हूँ कि इसकी जाँच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय एवं जो सरकारी वक्तव्य दिया गया है वह सरासर असत्य है। ठीक से जाँच नहीं होने के कारण वहाँ अनर्थ होने का डर है। श्री क्यूम आज भी फरार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ और माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जाँच सी० आई० डी० से कराई जाय ताकि वहाँ आगे कोई दूसरी घटना घटने की आशंका न हो।

श्री जनार्दन तिवारी—सभापति महोदय, पुलिस के मांग पर जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। पुलिश विभाग के संबंध में बहुत से माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूँ। इस संबंध में मेरा कुछ सुझाव है जो इस प्रकार है—आप देखते हैं, कि गर्मी के दिनों में देहात में बहुत आग लगती है लेकिन वहाँ आग बुझाने की व्यवस्था नहीं है, अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक बड़े-बड़े शहर में या कम से कम जिला हेड क्वाटर में फायरब्रिगेड का प्रबंध रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त अभी जो क्राइम का पोजिसन है उसमें आपको थाना को आधुनिक ढंग से सुसज्जित करना होगा। प्रत्येक थाना में एक वायरलेस सेट और एक जीप की व्यवस्था रहनी चाहिये। सभापति महोदय, जे० पी० के आन्दोलन में जिन सी० आई० डी० ने काम किया है उन्हें अभीतक भत्ता नहीं मिला है जबकि इस आन्दोलन को दबाने में इन सी० आई० डी० का प्रमुख हाथ है कारण वे लोग १२ बजे रात तक कार्य किये हैं।

सभापति महोदय, आप देखेंगे कि इधर ६२ दारोग की नियुक्ति हुई है जिसमें ४२ भूमिहार जाति के ही लिये गये हैं इसका कारण है कि श्री सुधीश नारायण सिंह भूमिहार हैं।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ६२ दारोगा की भर्ती की गयी जिस

में ४२ भूमिहार हैं और यह सुधीश बाबू की कृपा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिये।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आप ऐसे अभियोग नहीं लगायें जिस की प्रमाणिकता आपके पास नहीं है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—अभियोग क्यों नहीं लगायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कमीशन में एक आदमी फर्स्ट किया, उसकी वहाली नहीं की गयी।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिये। यह दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं।

सभापति—आपका समय अब समाप्त हो गया।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं दो मिनट में समाप्त कर दूँगा। जितने भी विभाग में लोग हैं डी० आई० जी० नहीं, सभी आपस में लड़ रहे हैं। वे जातिवाद करते हैं, लड़ते हैं और गुटबाजी भी करते हैं। मेरा कहना है कि आज पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता है। अन्त में मैं एक बात की सिफारिश करूँगा कि हमारे ललित बाबू की मृत्यु की जाँच सी० बी० आई० ने की लेकिन वे अपराधी पकड़ने में सफल नहीं हुए लेकिन बिहार की पुलिस ने चार आदमी का नाम दिया और बताया कि वे कहाँ के हैं और कौन हैं। श्री अरूण प्रसाद, श्री अरूण कुमार मिश्र और श्री शर्मा आदि। मैं सिफारिश करता हूँ कि इन लोगों को काफी इनाम मिलना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो रीयल आदमी है, कन्सपिरेशी में सम्मिलित थे श्री रामविलस झा और जिन पर शक है, ऐसे आदमी को सरकार को पकड़ना चाहिये। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री राजदेव राम—सभापति महोदय, आज राज्य में विधि व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। और हमारा पुलिस प्रशासन इसमें सफल नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पुलिस विभाग में उचित रूप से कर्मचारियों या पदाधिकारियों के पद पर हरिजनों की संख्या कम रहने के कारण ऐसा हो रहा है। जो कमजोर वर्ग है, आदिवसी हैं, हरिजन हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। यही कारण है कि आज सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। अगर आप देश में, समाज में विधि व्यवस्था को समुचित रूप से लाना चाहते हैं और प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मैं इसे दावे के साथ कहता

हूँ और माननीय सदस्य श्री जनार्दन तिवारी और श्री संत प्रसाद सिंह ने बहाली के संबंध में जो कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ । इसमें दो राय नहीं हो सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि दरोगा से चौकीदार तक पदों पर जितनी बहाली होती है उसमें पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग तथा हरिजन आदिवासियों को ५० प्रतिशत पद दिया जाय। तभी उनकी रक्षा हो सकती है ।

मैं सरकार का ध्यान भोजपुर जिला की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ वहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का काम नहीं किया बल्कि आग में घी डालने की कोशिश की। मैं मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, हरिजन है, दलित है, मुशहर और चमार हैं, उनको आपका पुलिस प्रशासन तंग करता है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि एकबाली गाँव में एक मुखिया है जिनका नाम राम प्रवेश राम है। एक गाँव में भूमिहार भाई अधिक हैं, लेकिन उसने उन लोगों के बीच रहकर सेवा की। गाँव में नाला बनवा दिया, कई तरह के विकास कार्य उसने किया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस गरीब मुखिया को क्रिमिनल केस में फँसा दिया गया। सी०आई०डी० विभाग ने उसे नेक्सलाइट डिकलेयर कर दिया है। इसके बाद चोरी से आग लगा दी गयी। ग़रीब हरिजन मारे गये। मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस चीज को दबाना चाहती है। एक जगह किसान और मजदूरों में झगड़ा होने की संभावना है। हमने थानेदार से मिल कर कहा कि आप तैनात रहें। लेकिन आपका थानेदार वहाँ के जमींदारों से नाजायज पैसा लेकर वहाँ के हरिजनों को बन्द कर रहा है।

भोजपुर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा संहार थाने की निरीह जनता को गोली से मारी जाती है और हरिजनों को झूठे झूठे मुकदमे में फँसाया जाता है। भोजपुर के पुलिस अधिकारी हरिजनों के साथ अन्याय करते हैं। हमारे क्षेत्र के एक हरिजनों को झूठे-झूठे केस में गलत नाम देकर फँसा दिया गया है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि गरीबों और हरिजनों के साथ न्याय करें। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ मुख्य मंत्री चलें और देखें कि गरीब और हरिजनों के साथ समाज के बड़े लोग तथा पुलिस का अन्याय कितना हो रहा है, वे कितना तंग कर रहे हैं। उनको आप पकड़ें और उनको दंडित करें। उनकी सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करें। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि मुख्य मंत्री वहाँ जांय और हरिजनों को जो नाजायज ढंग से फँसाया जा रहा है,

उससे उनकी रक्षा करें।

★श्री महावीर पासवान—सभापति महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिये करता हूँ कि आज पुलिस की जो उपयोगिता थी, जो पुलिस का उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आज जो पुलिस का उत्तरदायित्व है, जो उसकी जवाबदेही है उस जवाबदेही से, उस उत्तरदायित्व से वह मुकर गई है और वह सिर्फ अपने स्वार्थसाधन में और अपने जातियों के स्वार्थ में तल्लीन है। आज आपके पुलिस विभाग में जातियता और भ्रष्टाचार कूट-कूट कर भरा हुआ हैं। आज जातियता के आधार पर वहाँ पोस्टींग होती है, ट्रांसफर होता है। हरिजनों की जो बहाली होती है आप उसमें देखें कि संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, रिजरवेशन है, उसका भी सही सही पालन नहीं होता है और आज जो पुलिस की बहाली हो रही है या १६ तारीख को हर जिले में पुलिस की बहाली होने जा रही है उसमें हरिजनों को इसलिये छोड़ दिया जाता है यह कहकर कि वे योग्य नहीं हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम ही है कि हरिजनों में एक जात दुसाध होता है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि बिहार की कोई जाति उसका मुकावला नहीं कर सकता है। उसी जाति के बलपर यह समूचा बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के टाइम से आजतक चलता रहा है। उस समय भी गाँव का चौकीदार दुसाध ही होता था।

श्रीमती सुनैना शर्मा—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी जो डिबेट यहाँ चल रहा है, क्या हम यहाँ जातिवाद को लेकर डिबेट करें या जेनरल जो गड़बड़ी है उसके बारे में? माननीय सदस्य एक जाति का पक्ष लेकर डिबेट कर रहे हैं। मैं भी भूमिहार हूँ, लेकिन मैं भूमिहार का पक्ष लेती हूँ यह बात नहीं है। इससे जो अफसर ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका मनोबल घटता है।

श्री महावीर पासवान—जाति का डिबेट नहीं है।

श्री चन्देश्वर प्रसाद—सभापति महोदय, इस पर क्या रूलिंग हुआ।

सभापति (राधानन्दन झा)—वह कोई व्यवस्था नहीं था।

श्री महावीर पासवान—अंग्रेजों के टाइम में तथा मुगल के टाइम में बिहार के जितने भी गाँव थे उनमें जो चौकीदार होते थे वे दुसाध जाति के ही होते थे। उस समय न किसी को बन्दूक ही था और न राइफल ही, बल्कि लाठी के बल पर समूचे गाँव की रक्षा करते थे, लेकिन आज की क्या हालत है?

सभापति—आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री महावीर पासवान—पुलिस पर ही बोल रहा हूँ। चौकीदार, पुलिस विभाग में सबसे नीचे स्तर का है और चौकीदार के रिपोर्ट पर ही आई० जी० और मिनीस्टर यहाँ जवाब देते हैं, लेकिन उसकी हालत क्या है ? उसको सिर्फ ४० रुपया महीना आप देते हैं और उसी ४० रुपया में वह आपके गाँवों की रक्षा करता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप चौकीदार को सारी सुविधाएं दें तथा पहले जैसे कपड़ा मिलता था उसी तरह से जाड़ा और गर्मी में उनको कपड़ा दें। मेरा एक सुझाव है कि चौकीदार को ३ रूपये रोज के हिसाब से आप महीना दें।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम हरिजनों के बीच गरीबों के बीच यह कहा जा रहा है कि नक्शल पंथियों का मोभमेंट बहुत बढ़ गया है डकैती बढ़ गयी है। यह बात सही है डकैती बढ़ गयी है, चोरी बढ़ गयी है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज चोर कौन है ? डकैत कौन है ? आज समाज में जो बेचारा तपस्वी है, मुनी है, जिसके बल पर आज यह हाऊस चल रहा है, यह सदन चल रहा है, जिसके बल पर यह राज्य कायम है, जिसके बल पर सफेदपोस हाईकोर्ट और सक्रेटेरियट में लोग पलते हैं वह नक्शलपंथी हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि भला कौन है, चोर कौन है, बुरा कौन है। एक उदाहरण के रूप में मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ जो मैंने किताब में पढ़ी थी। "चीन में एक चोर ने चोरी की और वह न्यायकर्त्ता के पास आया। न्यायकर्त्ता सामाजिक और नैतिक विचार का आदमी था। उस जज ने चोर को ६ महीने का दंड दिया और जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसको भी ६ महीने का दंड दिया। जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसने कहा कि मुझे भी दंड क्यों दिया जा रहा है जबकि हमारे यहाँ तो चोरी ही हुई है। तब जज ने कहा कि तुमने सारे गाँव की सम्पत्ति एक जगह जमा कर ली थी और यह चोर बेचारा भूखा था और इसने भूख के मारे तुम्हारे यहाँ चोरी की। तुमने सम्पत्ति सारे गाँव की एक जगह जमा की इसलिये तुमको सजा दी गयी और चोर ने चोरी की इसलिये चोर को सजा दी गयी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज नक्शल पंथी बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है लेकिन मुख्य प्रश्न है जो बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि भले लोग आज सताये जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भला कौन है ? भला वह है जो मजदूरी करता है, जो खेतों में काम कर रहा है, यह लोग तो मारे जा रहे हैं और आपके सफेदपोश भले हो रहे हैं।

श्री रघुनन्दन प्रसाद–सभापति महोदय, यहाँ जो मांग पेश की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन क्यों करता हूँ इसलिये कि किसी भी राज्य को चलाने के लिये, कानून व्यवस्था संचालन के लिये, जान माल की रक्षा करने के लिये, शांति स्थापना के लिये पुलिस की आवश्यकता होती है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस को जो सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा नहीं मिल रही है। जब हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री केदार पाण्डे मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर थाने को वायर-लेस सेट देंगे, जीप देंगे, लेकिन अभी तक ये सब चीजें नहीं दी गयी हैं। मैं इस ओर वर्त्तमान मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो वादा किया गया था उसको वह पूरा करे। न मालूम कितने दिन रहेंगे कम से कम यह करके तो अपना नाम करें और जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा था उसको पूरा करें। साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस भी अपना कर्त्तव्य नहीं निभाती है। इसलिये मैं चाहूँगा कि पुलिस को भी अपना कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। लेकिन वह नहीं कर रही है। मैंने २४-२-७५ को भाषण में कहा था कि पटनासीटी, आलम गंज थाना के दारोगा ने श्री जयराम महतो से एक हजार रुपया जबर्दस्ती उसके घर में घुस कर ३ बन्दुकधारी के साथ जाकर छीन लिया। जब इस बात का जिक्र मैंने यहाँ किया तो उस दारोगा ने जयराम महतो के खिलाफ बहुत धांधली कर रहा है और उसके दा लड़के को डरा धमका रहा है कि तुमने असेम्बली कोशचन करवाया है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान फिर इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आलम गंज थाना के दारोगा को तुरत ससपेंड किया जाय।

पटना सीटी के यमुना सिंह, जो महुली ग्राम के मुखिया हैं, वे फरमली चक, मुसल्लहपुर, यमुना कोठारी, सहोदर कोठारी और बेगमपुर मुहल्ले के कोयरी किसानों के ३० एकड़ में लगी आलू की फसल को लुटवा लिया है। इन्होंने किसानों का पम्पिंग सेट उठवा लिया है और अभी तक पुलिस चोरी की गई पंपिंगसेट का पता नहीं लगा सकी है।

हजारी बाग जिले के इचाक थाने में रोज क्राइम बढ़ रहा है। अमनारी गाँव के विन्देश्वर सिंह ;चोरी करवाते हैं वे ६ महीने से फरार हैं लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

कटकम सांधी थाने का दारोगा श्री कर्मचन्द उरांव को राईट के मामले में आज से एक वर्ष पहले ससपेन्ड किया गया था। उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। इन पर ऐक्शन न होकर उच्च अधिकारियों पर ऐक्शन होना चाहिये था। उपाध्यक्ष

की अध्यक्षता में एक कमीशन वहाँ मामले की छानबीन के लिये गया था तो दारोगा ने बताया कि किन बड़े आदमियों का उसमें हाथ है। वे एक वर्ष से ससपेन्ड हैं। इसलिये कि वे आदिवासी हैं, उनको ससपेन्ड करके रखें हुए हैं।

जब से सीवान में श्री डब्लू० एच० खाँ एस० पी० हो गये हैं उनके पिरियड में क्राईम काफी बढ़ गया है। वे २ वर्षों से यहाँ हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

★श्री रामचन्द्र पासवान—सभापति महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का इसलिये समर्थन करता हूँ कि यह रक्षक विभाग नहीं है, भक्षक विभाग है। चौकीदार और दफादार को अभी भी ४० रुपया तनख्वाह दिया जाता है। आज २८ वर्ष आजादी के हो गये लेकिन उनका दरमाहा सिर्फ ४० रुपया रखा गया है। इसलिये कि ये गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, हरिजन तथा आदिवासी हैं। उन बेचारे चौकीदार और दफादारों को साल-साल भर से पैसा नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों?

श्री राजो सिंह—मेरा प्वाएंट औफ ऑर्डर है। मेरे पास एक लिस्ट है जो सब इंसपेक्टर की बहाली हुई है उसमें क्या क्या या किन किन व्यक्तियों की बहाली हुई है, सब दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसकी जाँच की जाय।

(जबाव नहीं)

श्री रामचन्द्र पासवान—तो मैं कह रहा था कि चौकीदार को कम पैसा दे कर चोरी सिखलाने का एक मात्र धंधा सरकार ने अपनाया है। बन्दूक की गोली पर भी सरकार ने क्राइम को अभी तक नहीं रोका, लेकिन एक जमाना था जबकि चौकीदार लाठी के बल पर ही सभी तरह के क्राइम को रोक लेता था। पिछले साल मुख्य मंत्री कौल अटेंशन में कहा था कि हरिजनों तथा आदिवासियों को पुलिस विभाग की बहाली में ५० प्रतिशत जगह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी अनेक बहालियाँ हुई हैं जिनमें इन्हें ५० परसेंट सीट नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सरकार चौकीदारों को चोर, डकैत बनाना चाहती है, आदमी नहीं। उनके साथ वर्ताव भी अच्छा नहीं किया जाता है। बिहार के सभी जगहों के चौकीदारों चाहे वे सीतामढ़ी के हों, चाहे सिवान के हों, सभी जगह उनका दरमाहा साल-साल भर से रोका हुआ है। उनसे थाने में दारोगा नाजायज काम कराते हैं। मैं उन दारोगा के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो तनख्वाह नहीं भी ले तो काम उनका चल सकता है क्योंकि वे चोर, डाकू से पैसा लेते हैं, ऐंठते हैं। यही नहीं, अच्छे आदमी को भी पकड़ कर ये लोग पैसा ऐंठते हैं

और जो नहीं देते हैं उनको तरह तरह से तंग करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती का समर्थन करता हूँ।

★श्री देवदत्त साहू—सभापति महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो माँग पेश की गयी है उसका में समर्थन करते हुए राँची जिले की विधि व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री राधानन्दन झा (सभापति)—साढ़े चार वजे से सरकार का जवाव होगा अब दस मिनट समय है, और अभी तीन वक्ता बोलने वाले हैं, इसलिये समय को ध्यान में रखकर ही अपना भाषण दें।

श्री देवदत्त साहू—सभापति महोदय, यह सत्य है कि आज पुलिस विभाग के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गयी है। जनता शांतिप्रिय है और शांति से रहना चाहती है। जितनी भी विधि व्यवस्था है, उसको कायम रखने की जिम्मेवारी आज पुलिस विभाग पर आती है। एक बात सत्य है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री केदार पांडे ने अपने भाजण में कहा था कि जितने भी थाने हैं वहाँ पर पुलिस जीप रहेगी और वायरलेस की व्यवस्था रहेगी। इससे पुलिस को कार्य में सुविधा मिलेगी, उनकी कार्य-क्षमता बढ़ेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। और भी वहुत सी चीजें हैं, जैसे पुलिस कौन्सटेबुल को आज रहने के लिये निवास स्थान की क़मी है जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पुलिस को जो असुविधा है, उसको सरकार जल्द से जल्द दूर करे और उनलोगों को सहुलियत दे ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़े जिससे विधि व्यवस्था कायम रखने में उन्हें सहुलियत हो। विगत ८ मार्च को राँची में जो कथित दो गुण्डों के बीच लड़ाई हुई, वह लड़ाई बढ़ती गयी। उस लड़ाई में पटाखा, छूरा का भी प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति को छूरा से मारा गया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गयी कि दो वर्षों में संघर्ष हो गया। रांची के हटिया, डोरन्डा आदि जगहों में तरह तरह के अफवाह फैलाये जाने लगे जिससे जनता में काफी आतंक छा गया। इसी तरह राँची म्युनिसिपैल्टी के चर्च रोड, वहू वाजार, सुजाता सिनेमा आदि क्षेत्रों में गुंडा-गर्दी हो रही है। बड़ा तालाब के किनारे ८ तारीख को एक युवती की लाश मिली। लाश देखने से पता चला कि उस युवती की हत्या छूरे से की गयी थी। ये गुंडे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं फिर एक दूसरा से बदला लेने की ताक में लगे रहते हैं। इसके कारण आज वहाँ की जनता में आतंक छाया हुआ है, जनता को असुविधा होरही, उनकी जान-माल की सुरक्षा आज खतरे में है। लोअर बाजार के थाना के दारोगा को हटा कर वहाँ पर एक

अच्छा दारोगा की नियुक्ति करें।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आज वहाँ गुंडे लोग रिवाल्वर और छूरे लेकर घूमते रहते हैं। सरकार इन गुंडों की खोज करवा कर पकड़े ।

सभापति महोदय, १९६७ में रांची में साम्प्रदायिक दंग हुआ था। पिछले दिन डोरेन्डा में इसी तरह की घटना घटी है। इसलिये वहां पर पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है नहीं तो किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिये में सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहां पर सरकार सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करे।

राम वचन पासवान—सभापति जी, कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस प्रसंग में चंद उदाहरण सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। आजादी के २८ वर्ष बीत जाने पर भी सरकार हरिजनों और आदिवासियों के लिये नौकरी में जो आरक्षण है वह कोटा पूरा नहीं कर पा रही है। उसे जल्द से जल्द पूरा होना चाहिये। इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री केदार पांडे ने कहा था कि अब आगे से बहाली में हरिजनों, आदिवासियों का रिजर्व कोटा पूरा करने के लिये पचास प्रतिशत बहाली उन्हीं लोगों की होगी मगर वह आजतक नहीं हो रही है, इसका पालन अविलम्ब होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को पुलिस विभाग पर फिजूलखर्ची नहीं करनी चाहिये। रोहतास जिले में पुलिस आज नंगा नाच कर रही है वैसा नंगा नाच राज्य के शायद ही किसी हिस्से में होता होगा। जो अफसर अच्छा काम करता सरकार उसे प्रोत्साहन देने के बदले तुरत ही बदल देती है और जो खराब काम करता है उसे इनाम के रूप में प्रोन्नति देकर प्रोत्साहित करती है। रोहतास जिले में श्री बलजीत सिंह एर०पी० बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन सरकार ने उन्हें बदल दिया इसके बाद श्री के० बी० कुंवर भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया सिर्फ डेढ महीने में ही। आज नतीजा है कि छः महीना में ही तरह-तरह के अपराध इतने बढ़ गये हैं कि जो गत दो वर्षों में भी नहीं हुआ होगा। सुदामा यदव को लोगों ने दारू में विष देकर मार दिया। लेकिन वहाँ के दारोगा ने लाश को लेकर बाजार में यह एलान कि हमने मारा है और इनाम ले रहा है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये और उसे कभी भी इनाम नहीं देना चाहिये। शिवसागर के दारोगा पांडे दिवाकर गलत-गलत केस में लोगों को फंसा कर तंग कर रहे हैं, जनता उनसे ऊब चुकी है। इसके लिये मैंने बार-बार ऊपर के अधिकारियों को लिखा मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पांडे दिवाकर ने जनआंदोलन में भी खुलकर भाग लिया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिये।

★श्री राजो सिंह—सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो पुलिस विभाग की मांग पेश की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूँ और कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अभी जो तीन रिटायर आई०जी० को एक्सटेंशन दिया गया है उससे पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों का जिनकी तरक्की रुकी है, मनोबल गिरा है सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिये। आपको याद होगा एक बार सरकार ने श्री महाबीर सिंह को बुलाया और फिर एक्सटेंशन दिया जिसके चलते लोगों में उस समय भी काफी असंतोष छा गया था। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये, ऐसी नीति सरकार की नहीं होनी चाहिये, अच्छे काम करनेवाले को तरक्की मिलनी चाहिये। अभी हमारे पास एक लिस्ट है इसमें कुल ५२ उम्मीदवार लिये गये हैं, इसमें १२ शिड्युल्ड कास्टस के हैं, ८ शिड्युल ट्राइब्स के और ८ एक्स सर्विसमेन के हैं। इन लोगों का टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था फीजीकल टेस्ट के लिये पांच आदमियों की बोर्ड बनी थी उसके द्वारा तैयार की गयी यह सूची है यदि आदेश हो तो मैं सभा पटल पर रख दूँ। इसमें बिहार के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन। इसपर एक खास व्यक्तिविशेष पर आक्षेप करना कि इन्होंने अपने विशेषाधिकार से एक खास जाति के लोगों की नियुक्ति की है, सरासर गलत है, मैं समझता हूँ कि यह सदन के लिये उचित नहीं होगा मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों की जाँच करके जो उचित हो, किया जाय। पाँच डी० आई० जी० इस बोर्ड में थे इसलिये एक का नाम लेना कदापि उचित नहीं है। सभापति महोदय, आपकी ओर से इस संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिये। माननीय सदस्य वरिस्ट सदस्य हैं उन्हें इस तरह का गलत आक्षेप नहीं करना चाहिये एक जाति विशेष और एक व्यक्ति विशेश का नाम लेकर।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं क्यों खेद प्रकट करूंगा।

★श्री रामाश्रय राय—मैं श्री सन्त प्रसाद सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिये करता हूँ कि आज सारे बिहार में पुलिस के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं रह गया है। आज सरे आम रास्ते में चलिये, मोटर में चलिये, गाड़ी में चलिये, सब जगह लूट हो रही है और पुलिस नाम का कोई प्रशासन नहीं है। आज एक ओर ऐसी स्थिति है और दूसरी ओर हमारे मुख्य मंत्री महोदय अपने वरीय पुलिस अधिकारी को उनकी योग्यता के नाम पर, वरीयता के नाम पर, उनकी दक्षता के नाम पर प्रमोशन दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी को कह देना चाहता हूँ कि प्रोन्नति के केस में किसी भी व्यक्ति को इस पोआइन्ट पर प्रोन्नति नहीं रोक देना चाहिए कि एक ही जाति का तीन आदमी हो

जायगा। चाहे शिवाजी हों, शाही जी हों, चाहे नारायण जी हों, जो भी हकदार हों उनको प्रोमोशन मिलना चाहिए। सभापति महोदय, बिहार में आज ला एण्ड आर्डर की यह स्थिति है और ये आई० जी० साहब को दो वर्ष का और एक वर्ष का एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक आई०जी० को दो वर्ष का और एक आई०जी० को एक वर्ष का एक्सटेंशन दिये हैं। सभापति महोदय, दरभंगा मेडिकल कालेज के छात्रों में आज काफी रोश है क्योंकि वहाँ की एक लड़की को उठाकर ले जाया गया, रास्ते से उठा लिया गया। वहाँ के प्राचार्य ने ३ तारीख को पुलिस को खबर की। स्वास्थ्य मंत्री वहाँ गये थे तो उनको भी यह सूचना दी गयी लेकिन आज तक वह लड़की गायब है। आप आई०जी० साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं और हमारी इज्जत लुटी जा रही है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि हर गाँव और जिला स्तर पर पब्लिक पुलिस ऐक्सन कमिटी होना चाहिए। सरकार ने भी यह वादा किया था कि ला एण्ड आर्डर को इनभेसटीगेशन से अलग करेंगे लेकिन आज तक वह इम्पलीमेंट नहीं किया। सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक पुलिस का प्रशासन खराब ही रहेगा।

श्री चन्देश्वर प्रसाद—मेरा नियमापत्ति है और वह यह है कि मैंने बार-बार आग्रह किया कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बोलने में मेरा शेयर होता है या नहीं, अगर शेयर होता है तो बोलने दीजिये और अगर शेयर नहीं होता है तो मत मौका दीजिये।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आपको बोलने का मौका दिया गया है, आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले हैं। डिमाण्ड पर बोले हैं। सब दिन आप ही बोलेंगे।

श्री दारोगा प्रसाद राय—माननीय सभापति महोदय—

(माननीय सदस्य श्री चन्देश्वर प्रसाद अपनी बेंच के मोंहडा पर बैठ गये)

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर साम्यवादी दल के माननीय सदस्य श्री चन्देश्वर प्रसाद को काफी जोर जोर से कहने लगे कि वे अपनी सीट पर बैठ जायं)

श्री रामजी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हाउस को चेयर कंट्रोल करेगा या माननीय सदस्यगण हाउस को कंट्रोल करेंगे।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि चेयर से हाउस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सोमवार के दिन माननीय सदस्य श्री तिवारी जी पर हमला किया गया और उसी प्रकार अभी चन्देश्वर बाबू पर हमला किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष—शान्ति। हाउस को चलाने में जितने माननीय सदस्य हैं सब का सहयोग चाहिए।

(साम्यवादी दल की ओर से काफी शोरगुल होने लगा)

उपाध्यक्ष—शान्ति, ऐसा उत्तेजित होने से तो सदन नहीं चलेगा। सबका सहयोग चाहिए। जो माननीय सदस्य हैं सब इस विश्वास के साथ हैं कि सदन को उनकी जरूरत है। जब ऐसा समझकर चलते हैं तो सबका सहयोग चाहिए। यदि आपस में ही झगड़ जायेंगे तो कैसे चलेगा। (सदन में शोरगुल) शान्ति। अब इसको आप खतम कीजिये।

श्री विद्याकर कवि—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पार्टी के एक सदस्य ने जब ऐसा किया तो माननीय सदस्य श्री भोला बाबू ने यह प्रस्ताव लाया था कि इस तरह की बात होगी तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी और उस माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाल दिया गया। अभी जो घटना घटी है उसके लिये भी चेयर को बोल्ड ऐक्शन लेना चाहिये। यदि चेयर की तरफ से इसमें मजबूती नहीं होगी तो इसमें दो-तरफी बात होगी।

उपाध्यक्ष—कविजी का यह कहना सही है कि मुझे यह पता नहीं था कि श्री चंदेश्वर बाबू बेंच के ऊपर बैठ गये थे। यह मुनासिब बात नही है। अगर हम देखते तो इस पर जरूर सोचते।

(सदन में शोरगुल)

(हल्ला)

श्री विद्याकर कवि—हम भी अपने सदस्यों को कहते है। आपने उन्हें दण्ड दिया है, इनलोगों को क्यों नहीं दिया ?

उपाध्यक्ष—शांति, हमने कहा था कि उन्होंने गलती की है। आइये ऐसा कुछ होगा तो जरूर विचार करेंगे।

श्री नन्द कुमार सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जानबूझकर एक

आदमी को बोलने नहीं दिया जाता, यह प्रजातंत्र है या नहीं ? अब मुझे लाचार होकर सोचना पड़ेगा कि असेम्बली में रहूँ या नहीं।

उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने के लिये इतना कम समय है कि मैं २, ४ मुख्य बातों की ओर जो इस सदन में उठाया गया है कहना चाहूंगा और यह बात सही है कि छात्र आन्दोलन...

(सदन में काफी हल्ला)

उपाध्यक्ष—शांति, आपलोग शांत हो जायें। सरकार का जवाब हो रहा है, कृपया सुनिये।

श्री दरोगा प्रसाद राय—उपाध्यक्ष महोदय, कई कारणों से छात्र आन्दोलन को लेकर और पुलिस की उसमें व्यस्त रहने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, पुलिस बल में कमी के कारण लौ एण्ड औडंर प्रोब्लेम में काफी दिक्कतें आ रही हैं फिर भी पुलिस ने मजबूती के साथ एक साल में इस काम को किया है। उसके लिये जो कुछ कार्रवाई की गयी है मैं एक दो बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। बिहार पुलिस को आधुनिक प्रसाधनों की नितान्त कमी है फिर भी हम-लोग अपने अल्पसंख्यक बल से ही अपराध निरोधात्मक उपायों को लागू कर रहे हैं—

१—महानिरीक्षक ने क्षेत्रीय उपमहानिरीक्षकों को विशेष गोष्ठी में सक्रिय अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने, कारगर अनुसंधान करने तथा आक्रान्त क्षेत्रों में सशस्त्र गश्ती एवं ग्रामरक्षादल के विशेष अभियान चलाने के निदेश दिये गये हैं।

२—प्रमुख ट्रेनों में सशस्त्र एस्कोर्ट की व्यवस्था की गयी है।

३—अनुसंधान में लंबित मुकदमों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और अपराध अनुसंधान विभाग में इस दायित्व को संपन्न करने के लिये एक आरक्षी अधीक्षक के अधीन एक विशेष सेल कायम किया गया है।

४— आरक्षी अधीक्षकों को निदेश दिया गया है कि हत्या, डकैती जैसे संगीन मुकदमों में अपराधकर्मियों की जमानत के विरूद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करें एवं इस तरह के मुकदमों में ध्यान रक्खें कि दुष्कर्मियों को आसानी से जमानत नहीं मिले।

५— प्रमुख मार्गों पर पिकेटिंग और सशस्त्र गश्ती की व्यवस्था की गयी है।

अभी मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मौका आवेगा तो मैं बताऊंगा लेकिन

जो बात माननीय सदस्यों ने उठायी है कि पुलिस को सुविधा देनी चाहिये, चूँकि उनको काफी दिक्कतों के साथ काम करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष अप्रैल में हमने पुलिस विभाग के हर रैंक को काफी सुविधा दी है, मकान की सुविधा भत्ता की सुविधा, वेतन की सुविधा, प्रोन्नति की सुविधा आदि। मुझे दुःख है कि मैं इसका वर्णन समय की कमी के कारण नहीं कर सकता हूँ। उनका डिमांड हमने काफी हदतक दूर किया है। इसमें हमको करोड़ों रुपये देने पड़े हैं। हमने पुलिस के हर सेक्शन के लोगों को इतनी सुविधा दी है कि वे संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ प्रति सिपाही पर प्रति दिन औसत खर्च ३.७२ है, उत्तर प्रदेश में ३.७२ है, पश्चिम बंगाल में ४.२५ और मध्यप्रदेश में ५.३२ है। पहले हमारे पुलिस के लोगों को लौ एन्ड आर्डर को मेनटेन करने में साधारण रूप से काम करना पड़ता है लेकिन अब इतना बड़ा प्रोब्लम क्रिएट हो गया है कि साधारण रूप से काम नहीं चलता है। फिर भी हमारी पुलिस अच्छी तरह से काल कर रही है। आपलोगों ने एक सवाल उठाया है पुलिस के हाउसिंग कारपोरेशन के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि एक साल में इसमें बहुत काम हो गया है। मैं इसे सदन के पटल पर रख देता हूँ आपलोग देखे लेंगे।

●(सदन के पटल पर रखा गया)

एक माननीय सदस्य की तरफ से यह सवाल उठाना चाहिये था कि पुलिस बजट कम है, एक श्री आजम ने उठाया है। जहाँ १९३७ में सस्ती के जमाने में साढे चार करोड़ का बजट था वहाँ अभी साढे छः सौ करोड़ का है जबकि पुलिस की संख्या में भी काफी बृद्धि हुई है। १९३७ से आज डेढ सौ गुणा बजट बढ़ा है जबकि उस हिसाब से एक अरब बढ़ जाना चाहिये था। इसलिये यह कहना कि पुलिस का बजट बढ़ा है सही नहीं है। अगर हमारे पास साधन रहता तो हम और भी पुलिस का बजट बढ़ाते। हमारी पुलिस के पास गाड़ियों की कमी है जबकि क्राइम करने वालों के पास नयी गाड़ी रहती है। फिर भी हमें गौरव है कि हमारी पुलिस को आल इंडिया कंटेस्ट में जब भी जाने का मौका मिला है, अच्छा किया है।

उसी तरह से जब रेलवे स्ट्राईक हुआ था उस समय जो हमारी पुलिस ने काम किया उसके लिये भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि यहां की पुलिस का बेस्ट परफोरमेन्स हुआ है। देश भर में इसी तरह से बी० एम०पी० को जहां कहीं भी जिस राज्य में जाना पड़ा है उन्होंने अपना रेकर्ड स्टेब्लिश

पाद टिप्पणी :—(●) विवरण कृपया परिशिष्ट—'क' एवं 'ख" पर देखें।

किया है। तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी हमारी पुलिस काम कर रही है। इसके बावजूद भी यह कहना कि वे असंतुष्ट हैं, ठीक नहीं है। इनके साथ कठिनाई है, इनकी मांगे हैं फिर भी इन्होंने अपना कर्त्तव्य का पालन बड़े ही निष्ठा के साथ किया है। और हम जो यहां की पुलिस को सुविधा दे रहे हैं वह किसी भी राज्य की पुलिस के बराबर ही है। फिर भी मैं कहता हूँ कि जैसे-जैसे साधन हम जुटा पायेंगे हम उनकी मदद करेंगे।

एक सवाल श्रीजनार्दन तिवारी ने उठाया है सी० आई० डी० के लोगों के संबंध में, कि अन्य लोगों को भत्ता दे दिया गया लेकिन इसको भत्ता नहीं दिया गया है। तो मैंने इसके संबंध में होम सेक्रेटरी से बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश की है।

जहाँ तक फायर ब्रिगेड की बात है हर जिले में फायर ब्रिगेड की युनिट खोलने की बात हमारे सामने है लेकिन हम इसको फेज वाईज करेंगे। सरकार इसकी अहमियत को मानती है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि दो पुलिस ऑफिसरों को एक्सटेन्सन दिया गया। श्री महावीर सिंह और श्री ए० के० घोष को। ये हमारे जिस रैंक के उच्चपदाधिकारी हैं उनके सम्बन्ध में इस तरह की बात कहना बहुत ही अनचैरिटेबुल रिमार्क है। ये दोनों ऑफिसर हमारे प्रांत के नामी ऑफिसर हैं। ये दोनों ऑफिसर हमारे यहाँ कोई पेटिशन लेकर नहीं आये कि हमको ६ महीना के लिये या दो वर्ष के लिये एक्सटेन्स दिया जाय। लेकिन १९७४ के मार्च महीना में जिस तरह का ला एण्ड आर्डर का पोजीशन हमारे राज्य की हो गयी थी जिस पर सारे देश की आँख लगी थी। श्री जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के कंटेस्ट में सेन्ट्रल गर्वनमेंट का ही नहीं बल्कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी को हटाने की बात चल रही थी। उस समय केन्द्र के होम मिनिस्ट्री के बहुत से पदाधिकारी यहाँ आये उन्होंने जो सुझाव दिया उन्हीं के कंटेस्ट में श्री ए० के० घोष और श्री महावीर सिंह को यहाँ लाया गया। श्री ए० के० घोष के सम्बन्ध में, हम जब मुख्यमन्त्री थे उस समय हमने श्री ए० के० घोष को यहाँ के लिये आई० जी० के लिये माँगा लेकिन भारत सरकार ने उनको देने से इन्कार कर दिया। इसी से आप उनके सम्बन्ध में अंदाज कर सकते हैं कि वे किस कैलिवर के ऑफिसर हैं। उनके यहाँ आने से यहाँ के किसी ऑफिसरों के परमोशन में इफेक्ट नहीं पड़ा है। उनके यहाँ आने के बाद श्री एस० एन० घोष और श्री आर० लाल को आई० जी० बनाकर हमने यहाँ से भेजा है। इन दोनों के काम से हमलोग काफी संतुष्ट हैं और ये लोग भारत सरकार

के नामी औफिसरों में से हैं। लेकिन यह बात सही है कि हमारा जो नियम है उसके अनुसार एक्सटेन्सन नहीं देना चाहिये था लेकिन हमने जो इनको एक्सटेन्सन दिया उससे यहाँ के कोई भी पदाधिकारी एफेक्टेड नहीं हुये।

हमारे यहाँ आई० ए० एस० और आई० पी० एस० औफिसरों का ही संविधान में जिक्र है और ये ही आल इण्डिया लेवेल के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुल पदों में से एक भी पद कमिश्नर रैंक का नहीं है। इंजीनियर को कमिश्नर का रैंक दिया गया। आई० पी० एस० के लोग कभी भी इसके लिये क्वेश्चन रेज नहीं किये।

यह बात सही है कि जिस बैच में डिप्टी कलक्टर में नाम एक नम्बर में था, वे आई० पी० एस० में ज्वायन किये और जो लास्ट आदमी थे, वे कमिश्नर हो गये और वे रैंक में नहीं हुये तो थोड़ा-सा पोस्ट बढ़ाया गया। ऑल इण्डिया आई० ए० एस० के कम्पेरीजन में कुछ प्रोस्पेक्ट उनलोगों को नहीं मिला है, लेकिन मैं बधाई देता हूँ कि उनलोगों ने अपने ग्रिवांस में कोई एजिटेशन उनलोगों ने नहीं किया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ए० एस० आई० की परीक्षा के द्वारा बहाली के सम्बन्ध में जो भोला बाबू ने प्रश्न उठाया है, वह बिल्कुल रिटेन कम्पीटिशन के आधार पर होता है। उसमें तो किसी जाति का नाम भी नहीं माँगा जाता है कि पता लगे कि कौन किस जाति का है। ऐसा देखा गया है कि रिटेन में आ गये तो पैरेड में उनको फिट आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल रिटेन के आधार पर ही बहाली हो। यह कहना कि वह फर्स्ट किये और उनकी बहाली नहीं हुई मेरे समझ से गलत है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—अर्जुन प्रसाद फर्स्ट हुये, लेकिन वे नहीं लिये गये। अगर यह बात गलत हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे सकता हूँ, इसकी जांच करायी जाय।

श्री दारोगा प्रसाद राय—यह बात सही है कि वे फीजिकल में छँट गये, रिटेन टेस्ट में फर्स्ट थे, सेकेंड थे, या थर्ड थे, यह दूसरी बात है। अब से हमलोगों ने सोचा है कि पहले फीजिकल टेस्ट ही करा लें तब रिटेन टेस्ट हो तो ज्यादा व्यावहारिक होगा। यह सुधार करने की बात अब सोच ली गयी है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

अधीक्षण-पदाधिकारियों का वेतन के लिए ६,०६,७०० रुपये की मद लोपित की जाय।

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई।

हां—३२

श्री अजीजुल हक
श्री तुलसी राम
श्री अब्दुल जलील
श्री उत्तमलाल यादव
श्री रामाश्रय राय
श्री विशेश्वर खां
श्री प्रभुनारायण राय
श्री लोकनाथ आजाद
श्री भोला सिंह
श्री चन्द्रशेखर सिंह
श्री भुवनेश्वर शर्मा
श्री रामजी प्रसाद सिंह
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री नन्दकुमार सिंह
श्री चिनमय मुखर्जी
श्री केदार दास
श्रीमती राजपति देवी
श्री जनार्दन तिवारी
श्री रामस्वरुप सिंह
श्री चन्देश्वर प्रसाद
श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह
श्री अम्बिका प्रसाद
श्री नरेश दास
श्रीमती सुनैना शर्मा
श्री रामचन्द्र पासवान
श्री भोला प्रसाद सिंह
श्री महावीर पासवान
श्री सन्त प्रसाद सिंह
श्री बालिक राम
श्रीमती शाहेदुन निशा
श्री निर्मलेन्दु भट्टाचार्य
श्री रामावतार सिंह

ना—११४

श्री नरसिंह बैठा
श्री फैयाजुल आजम
श्री कृष्ण मोहन पांडे
श्री सगीर अहमद
श्री महेदायतुल्ला खां
श्री कृष्ण प्रताप सिंह
श्रीमती उमा पांडे
श्री सीताराम प्रसाद
श्री उमेश प्रसाद वर्मा
श्री केदार पांडे
श्री रामप्रीत राय
श्री अलगू राम
श्री श्रीनिवास नारायण सिंह
श्री रामदेव सिंह

श्री प्रभुनाथ सिंह
श्री रघुनन्दन मांझी
श्री मोतीलाल सिन्हा कानन
श्री शिवशरण सिंह
श्री फतुरी सिंह
श्री रामचरित्र राय यादव
श्री महेन्द्र नारायण झा
श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री राधानन्दन झा
श्री चुल्हाई राम
श्री जगदीश प्रसाद चौधरी
श्री उमाशंकर सिंह
श्री आनन्दी प्रसाद सिंह
श्री रसिकलाल रिषिदेव।
श्री बुन्देल पासवान
श्री नजमुद्दीन
श्री रफीक आलम
श्री महम्मद अयूब
श्री कालीदास मुर्मू
श्री वैद्यनाथ दास
श्री मदन बेसरा
श्री अवधबिहारी सिंह
श्री मदन प्रसाद सिंह
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री चन्द्रशेखर सिंह
श्री राजो सिंह
श्री घनश्याम सिंह
श्री रामदेव राय
श्री रामस्वरूप प्रसाद
श्रीमती सुमित्रा देवी

श्री कुमार कालिका सिंह
श्री दारोगा प्रसाद राय
श्री दीपनारायण सिंह
श्री रमई राम
श्री रघुनाथ झा
श्री अजीजनुरउद्दीन
श्री अब्दुल गफूर
श्री विलट पासवान
श्री रामनरेश त्रिवेदी
श्री कपिलदेव नारायण सिंह
श्री बन्धू महतो
श्री कुम्भ नारायण सरदार
श्री जयनारायण मेहता
श्री रामनारायण मंडल
श्री सत्यनारायण यादव
श्री महम्मद हुसैन आजाद
श्री तसलीम उद्दीन
श्री विश्वनाथ रिषि
श्री कामदेव प्रसाद सिंह
श्री पाइका मुरमू
श्री पृथ्वीचन्द किस्कु
श्री सदानन्द सिंह
श्री ठाकुर कामाख्या प्रसाद सिंह
श्री जयप्रकाश मिश्र
श्री रामेश्वर पासवान
श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र
श्री मिश्री सदा
श्रीमती कृष्णा शाही
श्री जमील अहमद
श्री सुरजनाथ चौबे

श्री श्यामनारायण पांडेय
श्री राजदेव राम
श्री रामस्वरूप राम
श्री महेश्वरी प्रसाद सिंह
श्री श्यामसुन्दर प्रसाद सिंह
श्री राजेन्द्र नाथ दां
श्री तानेश्वर आजाद
श्री रघुनन्दन प्रसाद
श्री दुर्गाचरण दास
श्री शिवुरंजन खां
श्री घनश्याम महतो
श्री सिदुऊ हेमरम
श्री शत्रुघ्न आदित्य देव
श्री टीडु मुचिराय मुण्डा
श्री उमरांव साघो कुजुर
श्री साइमन तिग्गा
श्री करमचन्द भगत
श्री विजय विरेन्द्र कुमार
श्री शंकर प्रताप देव
श्री रामदेनी राम
श्री शिवपूजन वर्मा
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री फगुनी राम
श्रीमती गायत्री देवी
श्री अमृत प्रसाद
श्री पुनीत राय
श्री मुरली भगत
श्री नन्दकिशोर सिंह
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री टीकाराम मांझी
श्री दुर्गा प्रसाद जामुदा
श्री थियोडोर बोदरा
श्री वनमाली सिंह मुण्डा
श्री रामरतन राय
श्री देवदत्त साहु
श्री बैरागी उरांव
श्री श्रीकृष्ण भगत
श्री भालदेव राम
श्री भीष्म नारायण सिंह
श्री अवधेश कुमार सिंह

मतदान का फल इस प्रकार हैं—

पक्ष में—३२

विपक्ष में—११४

कटौती-प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएँ" के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय

होगा उसकी पूर्ति के लिये ३२,४०,००,००० रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मांग स्वीकृत हुई।

निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना।

उपाध्यक्ष—६ निवेदन है, सभा की अनुमति हो तो विभाग को भेज दिया जाय। सभा की अनुमति हुई।

सभा वृहस्पतिवार, तिथि ३१ मार्च, १९७५ को ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

पटना,

दिनांक १२ मार्च, १९७५।

विश्वनाथ मिश्र

सचिव

बिहार विधान-सभा,

परिशिष्ट—'क'

STATEMENT SHOWING THE LIST OF POLICE BUILDINGS IN BIHAR ALREADY TAKEN UP BY THE BIHAR POLICE BUILDINGS CONSTRUCTIONS CORPORATION (P) LTD. PATNA.

Appenpix 'A'

Sl.No.	Name of Work.	Estimated amount.	Physical progress
1	2	3	4
1.	Extension of Police Hospital buildings at Patna.	37,300/-	Brick work upto roof level.
2.	Construction of Lady Constable quarters (2nos.) at Aerodrome at Patna. (Phase-I).	28,000/-	Pending for site selection.
3.	Construction of Lady Constable quarters (2nos.) at Aerodrome at Patna. (Phase-II).	28,000/-	do do
4.	Construction of Lady Constable quarters (2nos.) at Police Line at Patna (Phase-II).	28,000/-	R. C. C. roof casting completed.
5.	Construction of Lady Constable quarters (2nos.) at New Police Line (Phase-I).	28,000/-	R. C. C. roof casting completed.

1	2	3	4
6.	Construction of compound wall around the wireless Transmitting Station and staff quarters at Patna (Phase-I).	51,800/-	Completed.
7.	Construction of compound wall around wireless transmitting Station (Phase-II).	46,500/-	Nearing completion.
8.	Reconstruction of quarter of officer I/c of Khagaul.	39,800/-	Work to be started when vacant possession of the building is made available.
9.	Reconstruction of P. S. building at Khagaul P. S.	36,520/-	Brick work upto roof level.
10	Reconstruction of A. S. I. quarter at Khagaul. P. S.	32,520/-	Work started at plinth level.
11.	Reconstruction of quarter of L. C. and A. S. I. at Khagaul.	49,900/-	Work to be started when vacation possession of the building is available.
12.	Construction of Barrack and kitchen in Pirbahore P. S. Patna.	20,850/-	Roof casting done. Finishing work in progress.
13.	Construction of Police Club building in Pirbahore P. S. Compound.	52,200/-	Brick work upto lintel level.
14.	Construction of Godown in B. M. P. Campus in Patna.	50,860/-	Brick work in superstructure.

1	2	3	4
15.	Provision of brick flat soling around the Armourers Magazine roof and construction of Security Morcha in New Police Line, at Patna.	14,230/-	Just started.
16.	Construction of Armourer's training Class room at New Police Line, Patna.	45,000/-	Foundation excavation under Progress.
17.	Construction of Armourer's workshop at New Police Line, Patna.	35,800/.	Work just started.
18.	Construction of Barrack of 24 Constable quarters at M. M. P. Patna.	84,820/-	R. C. C. casting.
19.	Construction of quarters to 6 married constables (M. M. P.) Patna.	92,600/-	Foundation excavation in progress.
20.	Conversion of Stable Barrack into Police Barrack for B. M. P. Camp XII at Tantitisilvay (Ranchi).	56,500/-	Brick work in progress in superstructure to be completed by 20-3-75.
21.	Conversion of Stable barrack into nine family quaters for Police of B. M. P. Camp XII at Tantitisilway (Ranchi).	76,500/-	Work just started.
22.	Construction of a set of 10 nos. of Latrines for B. M. P. Camp XII at Tantitisilway (Ranchi.)	18,300/-	Foundation excavation in progress.
23.	Construction of compound wall round Kolebira P. S. Ranchi.	56,000/-	Detailed estimate sanctioned. Work being taken up.

1	2	3	4
24.	Construction of staff quarters for Police Radio Personnel at Gumla.	26,800/-	Work being taken up.
25.	Construction of two roomed residential office at the residence of S. P. Dhanbad.	19,800/-	Work being taken up.
26.	Providing of water supply and Sanitary installation in Thana building and barrack at Palamu T. O. P. No. 1 and 2 at Daltenganj.	35,000/-	Work being taken up.
27.	Provision of water supply and sanitary installation in the residence of Asstt. District Prosecutor and Reader A. S. I. to S. P. Palamu.	12,400/-	Work being taken up.
28.	Provision of water supply and Sanitary installation in the residence of Thana I/C and two A. S. I. at Sadar Thana, Palamu.	14,200/-	Work being taken up.
29.	Provision of water supply and Sanitary Installation in the residence of buildings A. S. I. Police Doctor and Asstt. Surgeon A. S. I. Daltenganj.	15,900/-	Work being taken up.

1	2	3	4
30.	Provision of water supply and Sanitary installation in T. O. P. No. 2 and in the residence of Hawaldars at Daltenganj.	15,300/-	Work being taken up.
31.	Construction of quarters for 2 S. I. and 2 A.S.I. at Dinapur.	95,200/-	Foundation excavation in progress.
32.	Construction of residences for 2S I. and 2 A.S.I. in M. M. P. Patna.	97,500/-	Work just started.

परिशिष्ट—'ख'

LIST OF PROJECTS LIKELY TO BE TAKEN UP IN MARCH '75.

APPENDIX—'B'.

Sl No.	Name of Work	Amount of Estimate
1.	Construction of 12 married Constable quartesrs and 4 Havildars quarter at Police Line Head Quarter Daltenganj in the Disit: of Palamu.	3,02.000/-
2.	Construction of 24 married Constable quarrters at New R. P. Line Jamshedpur.	4,50,300/-
3.	Construction of 24 married Constable quarters in New Police Line at Ranchi.	4,50,300/-
4.	Construction of married quarters for 12 Sawars in M. M. P. at Arrah at Arrah.	2,25,000/-
5.	Construction of barrack for 24 constables in Kotwali P. S. Campus at Patna.	1,14,700/-
6.	Construction of Barrack for Constables at Dumra T. O. P.	1,14,700/-
7.	Construction of quarters for 7 Subedar at B. M. P. Muzaffarpur.	2,60,000/-
8.	Constructton of 24 quarters for Havildar in New Police line at Patna.	4,50,300/-
9.	Construction of barracks at Jamshedpur.	3,00,000/-

19.12.86

दैनिक निबंध

(बुधवार, दिनांक १२ मार्च, १९७५ ।)

विधान कार्य :

सरकारी विधेयक : पृष्ठ

(१) बिहार विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५ : १-५

संसदीय कार्य मन्त्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह ने सभा की अनुमति से उक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया ।

इसके बाद संसदीय कार्य-मन्त्री ने उक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

खण्डशः विचार के उपरांत संसदीय कार्यमन्त्री द्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(२) बिहार विधान-मण्डल (सदस्यों का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९७५ : ५-१७

संसदीय कार्यमन्त्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह ने सभा की अनुमति से उक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया ।

इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री ने उक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस क्रम में सभा-सदस्य, श्री अम्बिका प्रसाद ने उक्त विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

इस पर वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया : (१) श्री अम्बिका प्रसाद, (२) श्री कामदेव प्रसाद सिंह, (३) श्री विद्याकर कवि, (४) श्री अब्दुल गफूर, मुख्यमन्त्री, (५) श्री कमलदेव नारायण सिन्हा तथा (६) श्री चन्द्रशेखर सिंह, संसदीय कार्य मन्त्री ।

सरकारी उत्तर के उपरांत विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार के क्रम में सभा-सदस्य,

श्री कमलदेव नारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तुत खण्ड-२ में संशोधन का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

तदुपरांत, संसदीय कार्यमन्त्री द्वारा प्रस्तुत, सभा द्वारा यथा-संशोधित विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

चर्चाएँ : (१) मैनेजिंग डाइरेक्टर, बिस्कोमान द्वारा स्टेट कोपरेटिव बैंक के चेंक को डिजऑनर करार देना : १७

श्री रघुनाथ झा स० वि० स० ने उक्त विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया ।

(२) आरा-सासाराम मार्टिन लाइट रेलवे को चालू रखना : १७-१८

श्री सन्त प्रसाद स० वि० स० ने उक्त रेलवे को चालू रखने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । मुख्यमन्त्री, श्री अब्दुल गफूर ने यथोचित कारंवाई करने का आश्वासन दिया ।

(३) मैथ्यू कमीशन में मन्त्री, डा० जगन्नाथ मिश्र द्वारा सरकारी वकील रखने की मांग पर मुख्य सचिव का बयान : १८-२१

श्री विद्याकर कवि स० वि० स० ने उक्त विषय से संबंधित मुख्य सचिव के बयान पर आपत्ति प्रकट करते हुए सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की । मुख्यमन्त्री, श्री अब्दुल गफूर ने इसका स्पष्टीकरण किया ।

सदन से निष्कासन का प्रस्ताव : २१-२२

मुख्यमन्त्री, श्री अब्दुल गफूर ने प्रस्ताव किया कि विधान-सभा के सदस्य, श्री नथमल डोकानिया को सदन से पाँच दिनों के लिए निष्कासित किया जाए । प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य : २३-२४

गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित श्री जनार्दन तिवारी एवं अन्य सभा सदस्यों की पटना में कंकड़बाग कोलोनी स्थित स्लम ९८ से श्री कौशलेन्द्र ठाकुर की पत्नी श्रीमती प्रमीला

देवी के अपहरण सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचना पर वित्त मंत्री, श्री दारोगा प्रसाद राय ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया।

अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकारी वक्तव्य : पीरपैंती (भागलपुर) थाना के नौवाटोली (चाँदपुर) ग्राम में हरिजन छात्र की हत्या : २४-२८

श्री प्रभुनारायण राय एवं अन्य सभा-सदस्यों ने भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती थाना के नौवाटोली (चाँदपुर) ग्राम में १२ वर्षीय श्री अरुण कुमार दास, हरिजन छात्र, की हत्या के सम्बन्ध में सरकार (गृह आरक्षी विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। वित्त मन्त्री, श्री दारोगा प्रसाद राय ने इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। २९

राज्यपाल के सचिवालय से प्राप्त संदेश :

सभा-सचिव ने राज्यपाल के सचिवालय से प्राप्त निम्न संदेश सदन में पढ़ कर सुनाया :—

"बिहार विधान-मण्डल द्वारा यथापारित बिहार केन्दू-पत्ती (व्यापार-नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९७४, पर राष्ट्रपति ने दिनांक १८ फरवरी, १९७५ को अपनी अनुमति प्रदान की।"

आय-व्ययक : २९

(१) १९७४-७५ वर्ष के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन :

वित्त मन्त्री, श्री दारोगा प्रसाद राय ने १९७४-७५ वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरण उपस्थापित किया।

(२) १९७५-७६ वर्ष के अनुदानों की मांगों पर मतदान : २९-७३

पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएँ :

वित्त मन्त्री, श्री दारोगा प्रसाद राय ने पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में मांग पेश की तथा इस संदर्भ में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

तदुपरांत, श्री सन्त प्रसाद सिंह, सभा-सदस्य, ने राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पर विचार-विमर्श करने के लिए

कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उक्त विषयक मांग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर वादविवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री सन्त प्रसाद सिंह
(२) श्री विश्वनाथ रिषि
(३) श्री कृष्ण प्रताप सिंह
(४) श्री भोला प्रसाद सिंह
(५) श्री तारणी प्रसाद सिंह
(६) श्री बैरागी उरांव
(७) श्री आजम,
(८) श्री रघुनाथ झा,
(९) श्री भुवनेश्वर शर्मा
(१०) श्री शिवुरंजन खां
(११) श्री जनार्दन तिवारी,
(१२) श्री राजदेव राम
(१३) श्री महावीर पासवान
(१४) श्री रघुनन्दन प्रसाद
(१५) श्री रामचन्द्र पासवान
(१६) श्री देवदत्त साहु
(१७) श्री रामबच्चन पासवान
(१८) श्री राजो सिंह

तथा (१९) श्री रामाश्रय राय।

वित्त मन्त्री के सरकारी उत्तर के उपरांत कटौती प्रस्ताव सभा द्वारा ३२ के विरुद्ध ११४ मतों से अस्वीकृत हुआ तथा "पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं" सम्बन्धी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना : ७४-

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि आज के लिए स्वीकृत ६ निवेदन उचित कारंवाई हेतु सम्बन्धित विभागों में भेज दिये जायेंगे।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २९५ एवं २९६ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा धर्मयुग प्रेस, पटना-६ में मुद्रित।